



उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

बोर्ड की 91वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 21.03.2025

(संख्या-6999/यूपीडा/08/01/वाल्सूम-11(बोर्ड बैठक) दिनांक 25.03.2025)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
ए-ब्लॉक, पंचम तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

■ 0522. 2307592, 2307542 4004523

पत्रांक-6999/यूपीडा/08/01/वाल्सूम-11(बोर्ड बैठक)

दिनांक 25.03.2025

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की 91वीं बैठक दि० 21.03.2025 का कार्यवृत्त

बैठक में निदेशक मण्डल के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री मनोज कुमार सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव
2. श्री पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग —सदस्य
3. श्री श्रीहरि प्रताप शाही, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —सहायक सदस्य-सचिव
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन —सदस्य
द्वारा प्रतिनिधि श्री महेन्द्र प्रसाद भारती, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन —सदस्य
द्वारा प्रतिनिधि श्री अनुराग गुप्ता, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उ०प्र० शासन —सदस्य
द्वारा प्रतिनिधि श्री रविशंकर मिश्र, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण —सदस्य
द्वारा प्रतिनिधि श्री सन्दीप चन्द्रा, महाप्रबन्धक, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

अन्य विशिष्ट प्रतिभागी:-

1. श्री नरेन्द्र कुरील, प्रबन्धक (तकनीकी), पिकप।
2. श्री जे०पी० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
3. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
4. मेजर जनरल इन्द्र मोहन लाम्बा, चीफ नोडल ऑफिसर (डी०आई०सी०), यूपीडा।
5. श्री आर०आर० सिंह, वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
7. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (डि०कॉ०), यूपीडा।
8. श्री विनय प्रकाश, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
9. श्री आर०के चौधरी, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
10. श्री डी०पी० सिंह, स्टाफ ऑफिसर अध्यक्ष एवं विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. श्री संजय यादव, डिप्टी कलेक्टर, यूपीडा।
12. श्री सुनील कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
13. श्री अनुराग अस्थाना, महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
14. श्री बी०एस० दुबे, सलाहकार (प्र०सेल०), यूपीडा।
15. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू- अर्जन), यूपीडा।
16. श्री सियाराम मौर्या, वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
17. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
18. श्री संजय चावला, डिप्टी कलेक्टर, यूपीडा।

19. श्री मनीष कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
20. डा० के०के० अस्थाना, वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तुविद/नियोजक), यूपीडा।
21. श्रीमती निमिषा शर्मा, उप महाप्रबन्धक (वास्तुविद एवं नियोजन), यूपीडा।
22. श्री दीपक चतुर्वेदी, प्रबन्धक (प्रशासन), यूपीडा।
23. श्री राजेश कुमार तिवारी, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
24. श्री नीरज वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
25. श्री दीपांकल सिंह, सहायक अभियन्ता, यूपीडा।
26. श्री विकास रस्तोगी, परामर्शी, के०पी०एम०जी०।
27. श्री रजनीकान्त, परामर्शी, के०पी०एम०जी०।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 91वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से प्रस्तुत एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई।

एजेण्डा बिन्दु-01:-

उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की विगत 90वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

निदेशक मण्डल द्वारा 90वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2024 के कार्यवृत्त (संख्या-5356-01/यूपीडा/08/01/वाल्सूम-11(बोर्ड बैठक)दि० 30.1.2024) से अवगत होते हुए, कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु-02:-

उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की 90वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से निदेशक मण्डल के सदस्यों को बिन्दुवार अवगत कराया गया।

निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 30.12.2024 को सम्पन्न हुई 90वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। बोर्ड बैठक दि० 30.12.2024 में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-03

यूपीडा के संचालित एक्सप्रेसवेज पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा, संशोधन के सम्बन्ध में

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.04.2018 द्वारा प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर विभिन्न श्रेणी के वाहनों की अधिकतम गति निम्नवत नियत की गई है।

Sl.	Class of Motor Vehicles	Maximum Speed per hour in Kilometres on Expressway with Access Control
1	Motor vehicles used for carriage of passengers comprising not more than eight seats in addition to driver's seat. (M1 Category Vehicles)	120
2	Motor vehicles used for carriage of passengers comprising nine or more seats in addition to driver's seat. (M2 and M3	100

	Category Vehicles)	
3	Motor Vehicles used for carriage of goods (All N Category Vehicles)	80
4	Motor cycle	80*
5	Quadricycle	-
6	Three wheeled vehicles	-
* If permitted to ply on Expressway.		

- तदनुसार यूपीडा के अधीन संचालित एक्सप्रेसवेज पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा, सड़क परिदहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अद्यतन अधिसूचना दिनांक 06.04.2018 के अनुसार प्रस्तावित संशोधन को यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-04

यूपीडा द्वारा संचालित परियोजनाओं के आगणन में एकीकृत दर अनुसूची (Integrated SOR) के स्थान पर दर अनुसूची (SOR) प्रयुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 निदेशक मण्डल की दिनांक 30.12.24 को सम्पन्न 90वीं बैठक में यूपीडा द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं के आगणनों के गठन में नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन के पत्रांक 3031/सामान्य/तकनीकी सेल/2024 दिनांक 24.09.2024 के क्रम में प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0) के पत्रांक 387/कैम्प-प्र0अभि0(परि0/नि0) 24/(भवन) दिनांक 25.10.24 द्वारा प्रदेश स्तर पर सभी निर्माण विभागों, एजेन्सियों के प्रयोगार्थ निर्गत "एकीकृत दर अनुसूची" का प्रयोग करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था।

तत्पश्चात नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन के पत्रांक 365/सामान्य/ तकनीकी सेल/2025 दिनांक 24.02.2025 के क्रम में प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0) के पत्रांक 61/कैम्प-प्र0अभि0(परि0/नि0) /24/(भवन) दिनांक 24.02.25 द्वारा उक्त "एकीकृत दर अनुसूची" को वापस ले लिया गया है एवं दर अनुसूची के सम्बन्ध में पूर्व की व्यवस्था यथावत लागू रहने हेतु कार्यालय-ज्ञाप निर्गत किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन के पत्रांक 140/पीएसएमएस/2025 दिनांक 25.02.2025 द्वारा भी पूर्व में निर्गत एकीकृत दर अनुसूची को निरस्त करते हुए निर्देशित किया गया है कि सभी सम्बन्धित विभाग(लोक निर्माण विभाग, सिचॉई विभाग, वन विभाग एवं जल निगम आदि) विद्यमान नियमों व प्राविधानों के अन्तर्गत दर अनुसूची (SOR) ससमय निर्गत करते रहेंगे एवं यदि किसी विभाग अथवा संस्था द्वारा किसी परियोजना में एकीकृत दर अनुसूची का प्रयोग डी0पी0आर0 गठन में किया गया है तो उसे तदनुसार संशोधित/परिवर्तित कर लिया जाये।

एकीकृत दर अनुसूची निरस्त किये जाने के उक्त आदेश के पूर्व यूपीडा द्वारा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे व फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के आगणन एकीकृत दर अनुसूची (Integrated SOR) के आधार पर तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया। प्रेषित आगणन शासन के प्रोजेक्ट फार्मुलेशन एण्ड एप्रेजल डिवीजन (PFAD) द्वारा तकनीकी/वित्तीय परीक्षण के उपरान्त दोनों परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक्सपेन्डेचर फाइनेन्स कमेटी (EFC) की संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा सहमति जारी हो चुकी है। परन्तु शासन के उक्त आदेश के क्रम में दोनों परियोजनाओं का आगणन दर अनुसूची (SOR) पर तैयार कर पुनः PFAD व EFC कराया जा रहा है।

उक्त कार्यवाही से निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञानित होते हुए शासनादेश के अनुरूप पूर्व की व्यवस्था के अनुसार दर अनुसूची (SOR) के आधार पर यूपीडा की परियोजनाओं का आगणन तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

यूपीडा का गठन उ० प्र० शासन की अधिसूचना संख्या 4246/77-4-07-94 भ/०7टी.सी, दिनांक 27.12.2007 को उ० प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अन्तर्गत किया गया है। तदोपरान्त समय-समय पर कई नये औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये गये हैं। वर्तमान में यूपीडा द्वारा एक्सप्रेसवेज एवं लिंक एक्सप्रेसवेज के विकास के साथ-साथ 06 डिफेन्स नोड एवं 29 से अधिक इन्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) नोड विकसित किये जा रहे हैं।

उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 6(2) में प्राधिकरण के दायित्वों में योजना एवं तलपट मानचित्र तैयार करने का दायित्व भी निर्धारित किया गया है। तत्कम में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा विकास योजना/महायोजना एवं तलपट मानचित्र तैयार किये जाते हैं। उक्त दायित्व के लिये अधिकारों के प्रतिनिधायन एवं योजना तैयार करने, उसके संशोधन एवं अन्तिमीकरण के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया इस विनियमन में निर्धारित की जाती है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण द्वारा उक्त प्राविधान के क्रम में सम्पूर्ण शहर हेतु एक महायोजना तैयार किया जाता है। अतः इन प्राधिकरणों के उक्त नियमावली में महायोजना के संबंध में ही मुख्यतः प्राविधान निर्धारित किये गये हैं एवं सेक्टर तलपट मानचित्र के संबंध में मात्र अनुमोदन का स्तर तथा जन सुविधा के अन्तर्सेक्टरीय अन्तरण के प्राविधानों के संबंध में उल्लेख है। यूपीसीडा में चूँकि प्रदेश भर में अलग-अलग स्थानों पर औद्योगिक सेक्टरों क्षेत्रों का विकास किया जाता है। अतः यूपीसीडा के उक्त नियमावली में तीन प्रकार के योजनाओं को तैयार एवं अन्तिमीकरण के संबंध में उल्लेख है:-

1. **Perspective Plan:** सम्पूर्ण राज्य हेतु प्राधिकरण का 'विजन' इस योजना में निर्धारित करने का प्राविधान है।
2. **विकास/महायोजना (Development/Master Plan):** प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र हेतु एक विकास/महायोजना तैयार किया जाता है, जिसमें भूउपयोग जैसे- औद्योगिक, यातायात इत्यादि का प्राविधान होता है।
3. **तलपट मानचित्र (Project/ Scheme/ Sector layout plan):** औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत नियोजित सेक्टरों हेतु अलग-अलग तलपट मानचित्र तैयार किया जाता है जिसमें भूखण्डों, सड़क अवस्थापना सुविधाओं इत्यादि को इंगित किया जाता है।

वर्तमान में यूपीडा के लिए योजना तैयार करने एवं अन्तिमीकरण की प्रक्रिया से संबंधित कोई नियमावली अनुमोदित अथवा अंगीकृत नहीं है। अतः उक्त नियमावली तैयार करने हेतु प्राधिकरण स्तर पर समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यूपीडा हेतु योजना तैयार करने एवं अन्तिमीकरण नियमावली के संबंध में निम्न संस्तुति की गयी है:-

1) **Perspective Plan के संबंध में:-** यूपीडा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य में व्यापित है। यूपीडा द्वारा प्रदेश भर में डिफेन्स कॉरिडोर व आई०एम०एल०सी० विकसित किये जा रहे हैं, जिनका 'विजन' पृथक-पृथक है। भविष्य में सम्भावना है कि अन्य परियोजनाओं हेतु भी अलग-अलग 'विजन' के साथ परिकल्पना की जा सकती है। इस कारण समिति द्वारा यूपीडा हेतु Perspective Plan का प्राविधान किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

2) **विकास/महायोजना के संबंध में:-** ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में योजना तैयार करने एवं अन्तिमीकरण नियमावली उ० प्र० शासन द्वारा अधिसूचित की जा चुकी है तथा कई वर्षों से उक्त नियमावली के अनुरूप कार्य भी किया जा रहा है।

अतः ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लागू उक्त नियमावली को ही आधार मानते हुए विकास योजना/महायोजना के संबंध में मुख्य प्राविधानों को सम्मिलित करने तथा आवश्यकतानुसार कतिपय संशोधन करने की संस्तुति की गयी।

3) **तलपट मानचित्र के संबंध में:-** यूपीडा द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग यूपीसीडा द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों के अनुरूप ही है। ग्रेटर नोएडा की उक्त नियमावली में सेक्टरों के तलपट मानचित्र के संबंध में संक्षिप्त उल्लेख ही उलपब्ध है। अतः यूपीसीडा 'योजना तैयार करने, संशोधन एवं अन्तिमीकरण नियमावली' के अनुरूप तलपट मानचित्र से संबंधित प्राविधान यूपीडा हेतु तैयार किये जाने वाली नियमावली में सम्मिलित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यूपीडा हेतु 'योजना तैयार करने, संशोधन एवं अन्तिमीकरण नियमावली' के प्रस्तावित प्राविधानों के संबंध में समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं ग्रेटर नोयडा व यूपीसीडा के नियमावली का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। यूपीडा हेतु प्रस्तावित 'योजना तैयार करने, संशोधन एवं अन्तिमीकरण नियमावली' के संलग्न आलेख से संज्ञानित होते हुए यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-06

उ0प्र0 एयरो स्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के अन्तर्गत प्रोत्साहन विवरण हेतु प्रस्तावित SOP/गाइडलाइन के सम्बन्ध में।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-2792/77-6-18-एल.सी. 03/18 दिनांक 16.07.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथा संशोधित) को अवकनित करते हुए औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-04/2025/192/77-6-2025-एल.सी. 03/2018 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा नई नीति उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 प्रख्यापित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत देय अनुदान वितरण के सम्बन्ध में नीति के पैरा-10 (VII) में उल्लेख है, कि इस नीति में प्रदान की गई सुविधाओं/छूटों की स्वीकृति की प्रक्रिया वही होगी जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 में दी गई है।

02. उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूटों के वितरण की प्रक्रिया शासनादेश संख्या-30/2020/1651/77-6-2020-एल.सी.-03/2018 दिनांक 17.09.2020 द्वारा निर्धारित है। नई उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 में प्रदान किए गए प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथा संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 में दिए गए प्रोत्साहनों से भिन्न है। इस कारण इस नीति के तहत प्रोत्साहनों के वितरण के लिए एक पृथक मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) तैयार करने की आवश्यकता है।

03. शासन के पत्र संख्या-236/77-6-2025-एल.सी. 03/2018 दिनांक 30.01.2025 द्वारा प्रोत्साहन वितरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) तैयारकर प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस क्रम में नीति-2024 के अन्तर्गत देय प्रोत्साहनों के वितरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का आलेख उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत जारी गाइड लाइन के आधार पर तैयार प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) को यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-07

उ0प्र0 एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 में प्राविधानित लीज रेंट दर के अनुसार गाइडलाइन में संशोधन तथा इस अवधि में प्रक्रियाधीन आवंटन पत्रों में लीज रेंट दर निर्धारण के सम्बन्ध में

उ0प्र0 रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथा संशोधित) के स्थान पर उ0प्र0 एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 अधिसूचना संख्या 04/2025/192/77-6-2025-एल.सी.03/2018 दिनांक 24.01.2025 द्वारा प्रख्यापित की गयी है, जिसमें लीज रेंट के सम्बन्ध में पैरा-9(क) में निम्न प्राविधान है :-

“रक्षा गलियारे के नोड्स में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आवंटित भूमि पार्सल के लिए पट्टा किराया 10 वर्ष की अवधि के लिए भूमि लागत का 01 प्रतिशत तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 1.5 प्रतिशत होगा”

उक्त नीति के प्रस्तर-11 में निम्नानुसार प्राविधान है :-

- (i) यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी तथा 5 वर्ष की अवधि तक या अगली नीति अधिसूचित होने तक प्रभावी होगी।
- (ii) यह नीति उन निवेशकों पर लागू होगी, जो इस नीति के प्रभावी होने की तिथि के बाद निवेश करेंगे और नई नीति के तहत Letter of Comfort/ पुष्टिकृत (confirm) आवंटन प्राप्त करेंगे।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथा संशोधित) में लीज रेंट की दर के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं था। लीज रेंट का निर्धारण यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित गाईडलाइन के अनुसार किया जाता था, जिसमें कुल भूमि मूल्य का 2.5 प्रतिशत लीज रेंट लिये जाने का प्राविधान था।

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की गाईडलाइन के आधार पर तैयार की गयी नवीन गाईडलाइन दिनांक 21.06.2024 को अनुमोदित की गयी, जिसमें वार्षिक लीज रेंट प्रथम 10 वर्ष के लिए कुल लैंड प्रीमियम का 2.5 प्रतिशत, तत्पश्चात् प्रत्येक 10 वर्ष के उपरान्त 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दिये जाने का प्राविधान है। इस क्रम में पूर्व में किये गये 42 आवंटनों में फ्लैट 2.5 प्रतिशत तथा 04 आवंटनों में 2.5 प्रतिशत व प्रत्येक 10 वर्ष पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ लीज रेंट लिये जाने का अन्तिम आवंटन पत्र व लीज डीड निष्पादित किया गया है।

3. शासन स्तर से स्वीकृत नयी नीति-2024 दिनांक 24.01.2025 से प्रभावी होने की अवधि से पूर्व आवंटन हेतु प्रक्रियाधीन आवेदन पत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	इकाई का नाम	आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र की तिथि	प्राविजनल आवंटन की तिथि	अन्तिम आवंटन की तिथि	लीज डीड निष्पादन की तिथि
1-	SADASHIV SHAKTI DEFENCE PVT	26/07/2023	02/04/2024		
2-	WB ELECTRONICS INDIA PVT LTD	11/07/2023	23/07/2024		
3-	M/s Ferreterro India Pvt Ltd	06/03/2024	10/05/2024	04/10/2024	29/01/2025
4-	M/s Global Technocrats Ltd.	07/03/2024	23/07/2024	07/03/2025	
5-	Evigway Technologies Pvt Ltd.	16/05/2024	23/07/2024	07/02/2025	21/02/2025
6-	WTF Engineering Pvt Ltd	07/08/2024	17/01/2025		
7-	Jyoma Solutions Pvt Ltd	06/09/2024	17/01/2025		
8-	Navbharat Defence Systems	28/10/2024	17/01/2025		
9-	Vijayan Trishul Defence Solutions Pvt Ltd	29/08/2024	16/01/2025	13/02/2025	
10-	Next Strat Tech Vision LLP	13/09/2024	17/01/2025	14/02/2025	
11-	Micron Instruments Pvt Ltd	23/08/2024			
12-	Sidak Technologies Pvt Ltd	29/07/2024	28/08/2024	13/01/2025	
13-	CBS Technologies (P) Ltd.	27/01/2023	30/04/2024	18/12/2024	11/02/2025
14-	Capital Airgun Manufacturer Pvt	16/05/2024	23/07/2024	04/02/2025	07/03/2025
15-	SIAL Manufacturers Pvt. Ltd.	27/05/2024	23/07/2024	13/01/2025	07/03/2025
16-	Rameet Solutions Pvt Ltd	02/07/2024	09/09/2024	07/03/2025	
17-	TANKUP ENGINEERS LTD	13/07/2024	17/01/2025	07/03/2025	
18-	Jaykay Enterprises Ltd	14/08/2024	17/01/2025		
19-	Kawa Uav Pvt Ltd	25/07/2024	17/01/2025	07/03/2025	

उपरोक्त सूची से स्पष्ट है कि आवंटन प्रक्रिया में प्रार्थनापत्र प्राप्त होना, प्राविजनल आवंटनपत्र, अन्तिम आवंटनपत्र व लीजडीड का निष्पादन चार चरण हैं। इस सम्बन्ध में यह निर्धारित किया जाना है कि उपरोक्त चार चरणों में, किस चरण को नयी नीति के अनुसार लीज रेंट लिये जाने हेतु कटआफ डेट

के रूप में लिया जाना है। नयी या पुरानी नीति के संक्रमण अवधि में प्रक्रियाधीन आवंटन पत्रों पर लीज रेन्ट का दर निर्धारण किया जाना है।

4. नयी नीति-2024 में Letter of Comfort/पुष्टिकृत (confirm) आवंटन प्राप्त होने व नीति के प्रभावी होने की तिथि के बाद निवेश करने वाले निवेशकों पर नयी नीति लागू होने का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि Letter of Comfort किसी भी निवेशक को जारी नहीं हो पाया है, इसके लिए पृथक् से SoP का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। इस क्रम में नयी नीति-2024 के प्राविधानानुसार लीज रेन्ट के दर निर्धारण हेतु अन्तिम आवंटन पत्र जारी किये जाने की तिथि को संदर्भ तिथि के रूप में लिया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में दिनांक 24.01.2025 या उसके उपरान्त जारी पुष्टिकृत आवंटन/अन्तिम आवंटन पत्र के प्रकरणों में नयी व्यवस्था के अनुसार लीज रेन्ट लिये जाने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे 05 प्रकरण, जिनमें लीजडीड नयी नीति-2024 के प्रख्यापन दिनांक 24.01.2025 के पश्चात निष्पादित हुई है, जिसमें 03 इकाईयों क्रमशः M/s Ferreteria India Pvt Ltd (04.10.2024), CBS Technologies (P) Ltd. (18.12.2024), SIAL Manufacturers Pvt. Ltd. (13.01.2025) को अन्तिम आवंटन पत्र नयी नीति के प्रभावी से पूर्व निर्गत हैं एवं 02 इकाईयों क्रमशः Capital Airgun Manufacturer Pvt Ltd. (04.02.2025) व Evigway Technologies Pvt Ltd. (07.02.2025) को अन्तिम आवंटन पत्र नयी नीति के प्रभावी होने के उपरान्त निर्गत किये गये हैं, परन्तु CBS Technologies (P) Ltd. की लीज डीड में 2.5 प्रतिशत एवं अन्य 04 इकाईयों की लीजडीड में 2.5 प्रतिशत व प्रत्येक 10 वर्ष पर 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ लीज रेन्ट दिये जाने का उल्लेख है।

इस क्रम में निम्न बिन्दु निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं :-

- (i) नयी नीति के प्रभावी होने की दिनांक 24.01.2025 को या इसके उपरान्त अन्तिम आवंटन-पत्र जारी होने वाले प्रकरणों में लीज रेन्ट नयी पालिसी के अनुसार लिया जाना है।
- (ii) दिनांक 24.01.2025 के उपरान्त निष्पादित लीज डीड में दो इकाईयां Capital Airgun Manufacturer Pvt Ltd. एवं Evigway Technologies Pvt Ltd., जिनके अन्तिम आवंटन पत्र दिनांक 24.01.2025 के उपरान्त जारी हुए हैं, परन्तु लीज डीड में गाईडलाइन के अनुसार लीज रेन्ट (2.5 प्रतिशत) व प्रत्येक 10 वर्ष पर 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का उल्लेख होने की स्थिति में नयी पालिसी के अनुसार लीज रेन्ट की देयता के सम्बन्ध में निर्धारण किया जाना है।
- (iii) निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 21.06.2024 को अनुमोदित आवंटन गाईडलाइन में निर्धारित लीज रेन्ट की दर के प्राविधान में डिफेन्स पालिसी-2024 का पैरा सब-पैरा के रूप में जोड़ा जाना होगा।

उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 में निर्धारित लीज रेन्ट के दर के अनुसार भूमि आवंटन की नवीन गाइडलाइन Guideline for Procedure for Allotment of Plots and Post Allotment Services by UPEIDA की सम्बन्धित पैरा में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है:-

वर्तमान प्राविधान	प्रस्तावित संशोधित प्राविधान
4.2.1 In addition to the premium of plot, the lessee shall have to pay yearly Lease Rent in the manner given below.	4.2.1 In addition to the premium of plot, the lessee shall have to pay yearly Lease Rent in the manner given below.
i. The Lease Rent will be 2.50% of the total premium of the plot per year for the first 10 year from the date of execution of the Lease Deed.	a) For defence and aerospace units (i) The lease rent will 1.0% of the total premium of the plot per year for the first year 10 years from the date of execution of the Lease Deed and after 10 years it will be 1.5% of total land premium.
ii. Anchor units, which are provided with	(ii) Anchor units, which are provided with 25% discount

<p>25% discount on total land cost, will also get 25% discount on the total lease rent which means while calculating lease rent 2.5% of land premium determined for the anchor unit i.e. 75% of the total land cost along with development charges and any other charges determined by UPEIDA will be taken into consideration.</p> <p>iii. After ten years from the date of execution of the Lease Deed, the Lease Rent shall automatically increase by 50% and the enhanced rate will be applicable for the next ten years and this process of enhancement will continue for future.</p> <p>iv. The Lease Rent shall be payable in advance every year.</p> <p>v. In case of failure to deposit the due Lease Rent by the due date, interest of 9.50% p.a. will be charged over the default period.</p> <p>vi. The Allottee/ Lessee has the option to pay one-time Lease Rent equivalent to 15 years Lease Rent (i.e. 15 years @2.50% = 37.50% of the total premium of the plot) as One Time Lease Rent unless the Authority decides to withdraw this facility. On payment of one-time Lease Rent, no further annual Lease Rent would be required to be paid for the balance lease period, this option may be exercised at any time during the lease period, provided the Allottee has no outstanding lease rent arrears. It is hereby made clear that Lease Rent already paid will not be considered for adjustment in the amount payable towards one-time lease rent.</p> <p>vii. In case of transfer of the plot, the unit taking the transfer shall be liable to pay accumulated lease rent as due.</p> <p>viii. The lease rent for the first year shall be payable for the remaining period of the calendar year in which the lease deed is executed on pro-rata basis. Subsequently, the annual lease rent shall be payable in advance on or before 31st December of each calendar year till the duration of the lease.</p> <p>ix. After the commencement of implementation of these revised guidelines, the payment of lease rent by the existing allottees shall also be aligned in tune with these guidelines under an appropriate advice to the allottee.</p> <p>x. Lease rent as defined in para 4.2.1 (i) has been inclusive of GST so far. However, board of UPEIDA in its 90th</p>	<p>on total land cost, will also get 25% discount on the total lease rent which means while calculating lease rent 2.5% of land premium determined for the anchor unit i.e. 75% of the total land cost along with development charges and any other charges determined by UPEIDA will be taken into consideration.</p> <p>b) For units under IMLC</p> <p>(i) The Lease Rent will be 2.50% of the total premium of the plot per year for the first 10 year from the date of execution of the Lease Deed.</p> <p>(ii) After ten years from the date of execution of the Lease Deed, the Lease Rent shall automatically increase by 50% and the enhanced rate will be applicable for the next ten years and this process of enhancement will continue for future.</p> <p>(iii) The Allottee/ Lessee has the option to pay one-time Lease Rent equivalent to 15 years Lease Rent (i.e. 15 years @2.50% = 37.50% of the total premium of the plot) as One Time Lease Rent unless the Authority decides to withdraw this facility. On payment of one-time Lease Rent, no further annual Lease Rent would be required to be paid for the balance lease period, this option may be exercised at any time during the lease period, provided the Allottee has no outstanding lease rent arrears. It is hereby made clear that Lease Rent already paid will not be considered for adjustment in the amount payable towards one-time lease rent.</p> <p>c) Below provisions to regulate the lease rent payments will be applicable to both i.e. units under IMLC & UPDIC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Lease Rent shall be payable in advance every year. 2. In case of failure to deposit the due Lease Rent by the due date, interest of 9.50% p.a. will be charged over the default period. 3. In case of the transfer of plot, the unit taking the transfer will be liable to pay accumulated lease rent as due. 4. The lease rent for the first year shall be payable for the remaining period of the calendar year in which the lease deed is executed on pro rata basis. Subsequently, the annual lease rent shall be payable in advance on or before 31st December of each calendar year till the duration of the lease. Any default in the payment of annual lease rent on the due date shall bear interest incidents at the rate of 9.50% per annum for the defaulted period on daily producted basis. 5. After the commencement of implementation of these revised guidelines, the payment of lease rent by the existing allottees shall also be aligned in tune with these guidelines under an appropriate advice to the allottee. 6. GST will be payable along with the Lease Rent as prescribed above.
---	---

board meeting has decided to impose GST as applicable on the allotment happening henceforth.	
--	--

निदेशक मण्डल द्वारा पुरानी नीति से नई नीति के संक्रमण काल में प्रक्रियाधीन आवंटन प्रस्ताव के सम्बन्ध में नई नीति के अन्तर्गत लीज रेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में अंतिम आवंटन पत्र की तिथि को संदर्भ तिथि लिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा नीति प्रभावी होने के दि० 24.01.2025 के उपरान्त अंतिम आवंटन पत्र व लीज डीड निष्पादित होने वाले दो प्रकरणों से सम्बन्धित फर्म Capital Airgun Manufacturer Pvt Ltd. एवं Evigway Technologies Pvt Ltd. से नई नीति के अन्तर्गत लीज रेन्ट लिये जाने हेतु अनुपूरक लीज डीड निष्पादित कराये जाने का निर्णय लिया गया।

एवं नई डिफेन्स नीति में लीज रेन्ट की दर का प्राविधान होने के दृष्टिगत आवंटन गाईड लाईन के लीज रेन्ट दर सम्बन्धी पैरा में प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संख्या-(i), (ii) व (iii) को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-08

उ०प्र० रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रक्षा रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 की समयावधि के विस्तार के सम्बन्ध में

अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-2792/77-6-18-एल.सी. 03/18 दिनांक 16.07.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथा संशोधित) की समयावधि दिनांक 16.07.2023 को पूर्ण हो चुकी है। इस नीति की समयावधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक-2554/79/डि०कॉ०/961/2023 दिनांक 18.07.2023 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है। तत्कम में यूपीडा के पत्रांक-4318/79/डि०कॉ०/961/2024 दिनांक 04.11.2024 द्वारा शासन को अनुस्मरण भी कराया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-04/2025/192/77-6-2025-एल.सी. 03/2018 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा नई नीति उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 प्रख्यापित की गयी है। उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथा संशोधित) की अवधि दिनांक 16.07.2023 से नई नीति के प्रख्यापन की तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 23.01.2025 तक की अवधि बढ़ाये जाने का प्रकरण शासन में प्रक्रियाधीन है।

2. इस अन्तरित अवधि (दिनांक 16.07.2023 से दिनांक 16.01.2025 तक) में निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत कुल 21 निवेशकों को भूमि का आवंटन किया गया है तथा इनके द्वारा कुल सकल निवेश 4556.19 करोड़ प्रस्तावित है। इन सभी निवेशकों को उचित लाभ प्राप्त हो सके इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथा संशोधित) की समयावधि दिनांक 16.07.2023 से दिनांक 23.01.2025 तक बढ़ाया जाना आवश्यक है। यह भी अवगत कराना है कि इस संदर्भ में शासन में कैबिनेट नोट प्रक्रियाधीन है तथा नियोजन विभाग द्वारा कतिपय पृच्छा की गयी है, जिसके सम्बन्ध में दि०-17.03.2025 को यूपीडा द्वारा Input प्राप्त कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-09

(A) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (Change of Scope) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

(B) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस (Change of Scope Notice) के पश्चात चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर (Change of Scope Order) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

यूपीडा निदेशक मण्डल की 90वीं बोर्ड बैठक के उपरान्त गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनसामान्य की माँग व स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यों के लिये कन्सेशनायर्स (ग्रुप-I, II & IV) को उनके कन्सेशन एग्रीमेन्ट के क्लॉज 16.2.1 के अन्तर्गत पीओआईओयू एवं इंडिपेन्डेंट इंजीनियर की संस्तुति के उपरान्त यूपीडा द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप (cos) नोटिस निर्गत किये गये हैं, जो निम्नवत् है:-

GROUP-INotice Issued on 03.02.2025 (03No. Structures)

Change Of Scope Notice-10 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No.6123/UPEIDA/2593-I/Tech., Dated: 03 February, 2025			
Unique COS-ID	COS	Chainage	Description of Works
1	2	3	4
11001	C/o 1x2x2m Box Culvert in MCW+SR, LHS+RHS	090+000	C/o Additional 1x2x2m Box Culvert in MCW & Service Road (SR), LHS+RHS.
11002	C/o 1x2x2m Box Culvert in SR, RHS	089+170	C/o 1x2x2m Box Culvert in Service Road (SR), RHS.
11003	C/o 1x2x2m Box Culvert in SR, RHS	089+600	C/o 1x2x2m Box Culvert in Service Road (SR), RHS.

GROUP-IINotice Issued on 17.12.2024 (03No. Structures)

Change Of Scope Notice-11 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No.5146/UPEIDA/2593-II/Tech., Dated: 17 December, 2024				
Unique COS-ID	COS	CA Chainage	P&P Chainage	Description of Works
1	2	3	4	5
21101	Addl. Toe Wall	189+394	---	Toe Wall 310 meters in Loops & Ramps of Interchange Ramp 2- Ch 0+080 to 0+150 = 70m Ramp 3- Ch 0+160 to 0+220 = 60m Ramp 3- Ch 0+280 to 0+320 = 40m Loop Near Toll Plaza Ch 1+290 to 1+430 = 140m
21102	Addl. Retaining Wall & Toe Wall	255+167, Interchange	---	Retaining Wall & Toe Wall as per table-2 below.
21103	Construction of Addl. Parking at Airstrip	245+000	---	Construction of additional parking for Crash Fire Fighting & Other Safety Vehicles in the centre of Emergency Landing Facility for Indian Air Force.
20708 mod11	Modify Instructions	234+460	---	Instructions given under COS-7, ID 20708 for construction of 1x3x3m Box Culvert in MCW & SR, LHS+RHS stand withdrawn.

TABLE-2

Construction of Retaining Wall & Toe Wall in loops & Ramps

Location	Chainage		Length in metre	Avg. Height in metre	Proposal of Toe/Retaining Wall
	From	To			
LCR (LHS)	1540	1720	180	3.50	Ret. wall (RCC)
	1740	2070	330	3.00	Toe wall
	3400	3450	50	2.50	Toe wall
LCR (RHS)	1540	1720	180	3.50	Ret. wall (RCC)

	1750	2070	320	3.50	Ret. wall (RCC)
RSR 02	870	980	110	1.50	Toe wall
	1090	1210	120	2.00	Toe wall
	1270	1290	20	1.00	Toe wall
	1360	1520	160	1.50	Toe wall
RSR 01	1150	1300	150	2.50	Toe wall
	1510	1900	390	1.50	Toe wall
Total Length			2010 Metre		

GROUP-IV**Notice Issued on 15.01.2025 (02No. Structures)**

**Change Of Scope Notice-14 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement
vide Ref. No. 5676/UPEIDA/2593-IV/Tech., Dated: 15 January, 2025**

Unique COS-ID	COS	Chainage	Description of Works
1	2	3	4
41401	C/o 1x1200 mm HPC in SR, LHS	446+246	Construction of 1x1200 mm Hume Pipe Culvert in Service Road (SR), LHS only.
41402	C/o 1x1200 mm HPC in MCW+SR, LHS+RHS	453+135	Construction of 1x1200 mm Hume Pipe Culvert in Main Carriage Way (MCW) +Service Road (SR), LHS+RHS.
41006-mod14	C/o 1x1200 mm HPC MCW & SR, RHS shifted 517+743 in MCW+SR, LHS	517+743	COS ID 41006 stands modified to the extent that 1x1200mm Hume Pipe Culvert (HPC) approved at Ch.524+650 shall now be constructed at Ch.517+743 in Main Carriage Way (MCW) + Service Road (SR), LHS.
40606-mod14	C/o 1x2x2m Box Culvert MCW & SR, LHS shifted 535+000 in MCW+SR, RHS	535+000	COS ID 40606 stands modified to the extent that 1x2x2m Box Culvert in Main Carriage Way (MCW) & Service Road (SR), RHS earlier approved at Ch.527+700 shall now be constructed at Ch.535+000.
40608-mod14	Addl. 1x2x2m Box Culvert on SR, LHS+RHS and WSA VUP ramps, LHS+RHS	541+860	The COS Notice-6, COS ID 40608 stands modified to the extent that 1x2x2m Box Culvert, earlier approved at Ch.541+860, Main Carriage Way (MCW) + Service Road (SR), LHS only shall be provided on MCW + SR, LHS+RHS and also on VUP Ramps LHS+RHS.

वित्तीय प्रभाव— वर्तमान प्रस्ताव में गत बोर्ड बैठक के पश्चात निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप के नोटिस सम्मिलित हैं। इसके पश्चात कन्सेशनार्य द्वारा कार्य का आगणन गठित करना होगा, जिसका इंडिपेन्डेंट इंजीनियर द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त अथॉरिटी द्वारा व्यय भार आकलित किये जाने के पश्चात निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

यूपीडा द्वारा डी0पी0आर0 में प्राविधानित दरों के आधार पर अनुमानित व्यय भार की गणना की गयी है जो निम्नवत है:—

ग्रुप: I- रु0 01.15 करोड़ (प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.035 प्रतिशत)।

ग्रुप: II- रु0 11.29 करोड़ (प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.287 प्रतिशत)।

ग्रुप: IV- रु0 00.96 करोड़ (प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.027 प्रतिशत)।

औचित्य एवं विश्लेषण— कन्सेशन अनुबन्ध के प्रस्तर 16.1.1 में व्यवस्था दी गयी है:—

The Authority may, Notwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, require the provision of additional works and service which are not included in the Scope of the project as contemplated by this Agreement ("Change of Scope") Any such Change of Scope shall be made in accordance with the provisions of this Article 16 and the costs thereof shall be expended by the Concessionaire and reimbursed to it by the Authority in accordance with Clause 16.3.

तथा प्रस्तर 16.2.1 में व्यवस्था दी गयी है:—

In the event of the Authority determining that a Change of Scope is necessary, it shall issue to the Concessionaire a notice specifying in reasonable detail the works and services contemplated thereunder (the "Change of Scope Notice").

उक्त व्यवस्थाओं के अनुपालन में सी0ओ0एस0 नोटिस निर्गत किये गये हैं।

निदेशक मण्डल से अनुमोदन निवेदित – कन्सेशन एग्रीमेन्ट के क्लॉज 16.2.1 के सापेक्ष उक्त चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस दी गयी हैं। कन्सेशनायर्स द्वारा विस्तृत आगणन प्रस्तुत करने के उपरान्त, परीक्षण व स्वीकृति के पश्चात व्यय भार से निदेशक मण्डल को पुनः अवगत कराया जायेगा।

(B) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस (Change of Scope Notice) के पश्चात चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर (Change of Scope Order) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस (सी0ओ0एस0) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के लिये यूपीडा द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये गये हैं।

अवगत कराना है कि यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पी0पी0पी0 (डी0बी0एफ0ओ0टी0) पद्धति के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु पूरी परियोजना को 04 ग्रुप में विभाजित करते हुए कन्सेशनायर्स के साथ कन्सेशन अनुबन्ध गठित कर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में आवश्यकतानुसार उन कार्यों के लिये, जो कि स्कोप ऑफ वर्क में सम्मिलित नहीं थे, कन्सेशन अनुबन्ध के आर्टिकल 16 के प्रस्तर 16.2.1 की व्यवस्था के अन्तर्गत समय-समय पर चेन्ज ऑफ स्कोप के नोटिस निर्गत किये गये थे, जिन्हें निदेशक मण्डल के संज्ञान में लाते हुये अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।
- आर्टिकल 16 के प्रस्तर 16.2.2 के अन्तर्गत कन्सेशनायर्स द्वारा इन नोटिसेज की प्राप्ति के उपरान्त इनके निर्माण से परियोजना पर पड़ने वाले प्रभाव एवं कार्य सम्पादन की लागत का आंकलन प्रस्तुत करना होता है एवं तदोपरान्त इंडिपेन्डेन्ट इंजीनियर द्वारा परीक्षण एवं सत्यापन के बाद चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये जाते हैं।
- उपरोक्त प्रस्तर 1 द्वारा उल्लिखित नोटिसेज के संदर्भ में प्रस्तर 2 में वर्णित कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त **ग्रुप-I, II, III एवं IV** हेतु विभिन्न कार्यों के लिये आर्टिकल 16 के प्रस्तर 16.2.3 के अन्तर्गत निम्नानुसार चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये गये हैं, जिनकी लागत निम्न तालिका में प्रदर्शित है-

GROUP-I

Order Issued on 07.03.2025 (04No. Structures)

Change Of Scope Order No.-9 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement vide Ref. No. 6740/UPEIDA/2987-I/Tech., Dated: 07 March, 2025							
Sl. No.	COS Uniqu e-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage / P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10301	COS-3	New Addl. MNB	74+940/ 74+965	3280/UPEIDA/2593-I/ Tech., dated 17th Aug.,2023	7,02,62,496	0
					GST@18%	1,26,47,249	0
					Total=	8,29,09,745	0
2	10304	COS-3	New Addl. MNB	85+550/ 85+548	3280/UPEIDA/2593-I/ Tech., dated 17th Aug.,2023	4,39,05,053	0
					GST@18%	79,02,910	0
					Total=	5,18,07,963	0
3	10307	COS-3	New Addl. MNB	96+440	3280/UPEIDA/2593-I/ Tech., dated 17th Aug.,2023	7,18,24,448	0
					GST@18%	1,29,28,401	0
					Total=	8,47,52,849	0
4	10309	COS-3	New Addl. MNB	111+830 / 111+850	3280/UPEIDA/2593-I/ Tech., dated 17th Aug.,2023	10,61,17,013	0

					GST@18%	1,91,01,062	0
					Total=	12,52,18,075	0
Grand Total (Excluding GST)=						29,21,09,010	0
					GST @ 18%	5,25,79,622	0
Grand Total including GST =						34,46,88,632	0
Note:-GST shall be payable as applicable.							

GROUP-II**Order Issued on 17.12.2024 (02No. Structures)**

Change Of Scope Order No.-7 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement vide Ref. No. 5122/UPEIDA/2987-Gr-II/Tech., Dated: 17 December, 2024							
Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/ P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20703	COS-7	Addl. MNB	221+575	4684/UPEIDA/25 93-II/ Tech., dated 26th Oct.,2023	9,81,96,225	52,702
					Add GST@18%	1,76,75,321	9,486
					Total=	11,58,71,546	62,188
2	20705	COS-7	Addl. 1x2x2m BC on LHS, SR only	180+950	4684/UPEIDA/25 93-II/ Tech., dated 26th Oct.,2023	37,69,238	0
					Add GST@18%	6,78,463	0
					Total=	44,47,701	0
					Grand Total =	10,19,65,463	52,702
					Add GST@18%=	1,83,53,783	9,486
					Grand Total With 18% GST =	12,03,19,246	62,188
Note:-GST shall be payable as applicable.							

Order Issued on 03.02.2025 (05No. Structures)

Change Of Scope Order No.-8 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement vide Ref. No. 6120/UPEIDA/2987-Gr-II/Tech., Dated: 03 February, 2025							
Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20706	COS-7	Addl. 1x2x2m BC on RHS, SR only	253+232	4684/UPEIDA/25 93-II/ Tech., dated 26th Oct.,2023	14,31,763	0
					Add GST@18%	2,57,717	0
					Total=	16,89,480	0

2	20707	COS-7	Addl. 1x3mx3m BC, MCW & SR	229+550	4684/UPEIDA/25 93-II/ Tech., dated 26th Oct.,2023	1,19,27,154	0
					Add GST@18%	21,46,888	0
					Total=	1,40,74,042	0
3	20803	COS-8	Upgrade MNB to larger size MNB	268+340	6298/UPEIDA/25 93-II/ Tech., dated 11th Jan.,2024	2,94,51,829	0
					Add GST@18%	53,01,329	0
					Total=	3,47,53,158	0
4	20805	COS-8	Upgrade MNB to larger size MNB	274+780	6298/UPEIDA/25 93-II/ Tech., dated 11th Jan.,2024	8,37,35,703	0
					Add GST@18%	1,50,72,427	0
					Total=	9,88,08,130	0
5	20810	COS-8	New Addl. 1x3x3m BC in MCW only	206+160	6298/UPEIDA/25 93-II/ Tech., dated 11th Jan.,2024	64,23,454	0
					Add GST@18%	11,56,222	0
					Total=	75,79,676	0
					Grand Total=	13,29,69,903	0
					Add GST@18%	2,39,34,583	0
					Grand Total with 18% GST=	15,69,04,486	0
Note:-GST shall be payable as applicable.							

GROUP-III**Order Issued on 17.12.2024 (14No. Structures)**

**Change Of Scope Order No.-4 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement
vide Ref. No.5155/UPEIDA/2987-Gr-III/Tech., Dated: 17 December, 2024**

Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/ P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30408	COS-4	Addl. 1x7x4m SVUP	390+979	690/UPEIDA/2593-III/Tech., dated 02 nd May,2023	1,78,80,225	52,702
					Add GST@18%	32,18,441	9,486
					Total=	2,10,98,666	62,188
2	30604	COS-6	Addl. 1200mm HPC	329+250	4620/UPEIDA/2593-III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	15,92,555	0

					Add GST@18%	2,86,660	0
					Total=	18,79,215	0
3	30605	COS-6	Addl. 1200mm HPC	334+800	4620/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	21,04,461	0
					Add GST@18%	3,78,803	0
					Total=	24,83,264	0
4	30606	COS-6	Addl. 1200mm HPC	358+385	4620/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	23,82,436	0
					Add GST@18%	4,28,838	0
					Total=	28,11,274	0
5	30607	COS-6	Addl. 1200mm HPC	376+455	4620/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	23,34,275	0
					Add GST@18%	4,20,170	0
					Total=	27,54,445	0
6	30608	COS-6	Addl. 1200mm HPC	383+430	4620/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	19,99,081	0
					Add GST@18%	3,59,835	0
					Total=	23,58,916	0
7	30609	COS-6	Addl. 1200mm HPC	384+350	4620/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	24,07,364	0
					Add GST@18%	4,33,326	0
					Total=	28,40,690	0
8	30610	COS-6	Addl. 1200mm HPC	384+550	4620/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	18,12,896	0
					Add GST@18%	3,26,321	0
					Total=	21,39,217	0
9	30611	COS-6	Addl. 1200mm HPC	397+100	4620/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	15,95,350	0
					Add GST@18%	2,87,163	0
					Total=	18,82,513	0
10	30612	COS-6	Addl. 1200mm HPC	397+250	4620/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	24,23,186	0
					Add GST@18%	4,36,173	0
					Total=	28,59,359	0
11	30613	COS-6	Addl. 1200mm HPC	405+170	4620/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	13,81,137	0
					Add GST@18%	2,48,605	0
					Total=	16,29,742	0

12	30614	COS-6	Addl. 1200mm HPC	407+900	4620/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	16,29,094	0
					Add GST@18%	2,93,237	0
					Total=	19,22,331	0
13	30615	COS-6	Addl. 1200mm HPC	423+000	4620/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	15,14,264	0
					Add GST@18%	2,72,568	0
					Total=	17,86,832	0
14	30616	COS-6	Addl. 1200mm HPC	424+000	4620/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	20,27,925	0
					Add GST@18%	3,65,027	0
					Total=	23,92,952	0
					Grand Total	4,30,84,249	52,702
					Add GST@18%	77,55,167	9,486
Grand Total With 18% GST						5,08,39,416	62,188
Note:-GST shall be payable as applicable.							

Order Issued on 27.12.2024 (06No. Structures)

Change Of Scope Order No.-5 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement vide Ref. No.5337/UPEIDA/2987-Gr-III (TC)/Tech., Dated: 27 December, 2024							
Sl. No.	COS Unique- ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/ P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30601	COS-6	Addl. 1x2x2m BC in MCW & SR	409+150	4620/UPEIDA/ 2593- III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	49,60,889	0
					Add GST@18%	8,92,960	0
					Total=	58,53,849	0
2	30602	COS-6	Addl. 1x2x2m BC in MCW & SR	409+350	4620/UPEIDA/ 2593- III/Tech., dated 19 th Oct., 2023	61,91,227	0
					Add GST@18%	11,14,421	0
					Total=	73,05,648	0
3	30702	COS-7	Upgrade BC to PUP	403+850/40 3+906	5234/UPEIDA/ 2593-III/Tech., dated 29th Nov.,2023	93,97,612	52,702
					Add GST@18%	16,91,570	9,486
					Total=	1,10,89,182	62,188
4	30801	COS-8	Addl. BC 1x3x3m	385+500	6620/UPEIDA/ 2593-III/ Tech., dated 29 th Jan., 2024	74,80,909	0

Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/ P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30701	COS-7	Additional 1x2x2m Box Culvert	312+780	5234/UPEIDA/2593-III/Tech., dated 29th Nov., 2023	42,82,060	0
					Add GST@18%	7,70,771	0
					Total=	50,52,831	0
2	30806	COS-8	Addl. BC 1x2x2m	311+084	6620/UPEIDA/2593-III/Tech., dated 29 th Jan., 2024	39,30,327	0
					Add GST@18%	7,07,459	0
					Total=	46,37,786	0
3	30905	COS-9	Addl. Box Culvert 1x3x3m, MCW+SR, RHS	343+840	7488/UPEIDA/2593-III/Tech., dated 11 th March, 2024	76,80,894	0
					Add GST@18%	13,82,561	0
					Total=	90,63,455	0
4	31004	COS-10	Addl. 1*1200mm HPC	418+560	1075/UPEIDA/2593-III/Tech., dated 28 th May, 2024	17,46,494	0
					Add GST@18%	3,14,369	0
					Total=	20,60,863	0
5	31005	COS-10	Addl. 1*1200mm HPC	404+850	1075/UPEIDA/2593-III/Tech., dated 28 th May, 2024	40,61,642	0
					Add GST@18%	7,31,096	0
					Total=	47,92,738	0
6	31201	COS-12	Addl. 1*1200mm HPC	378+050	2781/UPEIDA/2593-III/Tech., dated 13 th August, 2024	68,65,461	0
					Add GST@18%	12,35,783	0
					Total=	81,01,244	0
7	31402	COS-14	Addl. 1x3x3m Box Culvert MCW only	318+200	4047/UPEIDA/2593-III/Tech., dated 16 th Oct., 2024	68,57,695	0
					Add GST@18%	12,35,783	0
					Total=	80,93,478	0
					Grand Total	3,54,24,573	0
					Add GST@18%	63,77,822	0
Grand Total With 18% GST						4,18,02,395	0
Note:-GST shall be payable as applicable.							

Order Issued on 07.03.2025 (06No. Structures)

**Change Of Scope Order No.-8 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement
vide Ref. No.6738/UPEIDA/2987-Gr-III/Tech., Dated: 07 March, 2025**

Sl.	COS	COS	COS Short	Chainage/	COS Notice Letter	Estimated	Estimated
-----	-----	-----	-----------	-----------	-------------------	-----------	-----------

No.	Unique-ID	Notice No.	Description	P&P Chainage	No. & Date	Construction Cost	Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30411	COS-4	Upgrade BC to PUP	436+338/4 36+263	690/UPEIDA/ 2593-III/Tech., dated 02 nd May, 2023	1,17,77,589	52,702
					Add GST@18%	21,19,966	9,486
					Total=	1,38,97,555	62,188
2	30502	COS-5	Addl. BC Variable Size MCW only	333+186	2871/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 31 st July, 2023	73,37,953	0
					Add GST@18%	13,20,832	0
					Total=	86,58,785	0
3	31001- mod11	COS-10- Mod11	Addl. 1x2x2m Box Culvert, MCW+SR, LHS	302+850	1691/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 01 st July, 2024	8,92,837	0
					Add GST@18%	1,60,711	0
					Total=	10,53,548	0
4	31103	COS-11	C/o 6x1200mm HPC	378+175	1691/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 01 st July, 2024	84,45,895	0
					Add GST@18%	15,20,261	0
					Total=	99,66,156	0
5	31202	COS-12	Addl. 1*1200mm HPC in loop of Inter- change	329+942	2781/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 13 th August, 2024	13,68,565	0
					Add GST@18%	2,46,342	0
					Total=	16,14,907	0
6	31401	COS-14	C/o 1x1200mm HPC	359+258	4047/UPEIDA/259 3-III/Tech., dated 16 th Oct., 2024	31,80,045	0
					Add GST@18%	5,72,408	0
					Total=	37,52,453	0
					Grand Total	3,30,02,884	52,702
					Add GST@18%	59,40,520	9,486
Grand Total With 18% GST						3,89,43,404	62,188
Note:-GST shall be payable as applicable.							

GROUP-IV**Order Issued on 17.12.2024 (07No. Structures)**

Change Of Scope Order No.-4 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement vide Ref. No. 5154/UPEIDA/2987-Gr-IV/Tech., Dated: 17 December, 2024							
Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/ P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8

1	40613	COS Notice-6	Addl. 1x1200mm HPC on Side Road	568+920	3255/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 16th August,2023	6,46,424	0
					GST@18%	1,16,356	0
					Total=	7,62,780	0
2	40615	COS Notice-6	Addl. 1x2x2m BC in MCW & SR	575+250	3255/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 16th August,2023	46,39,133	0
					GST@18%	8,35,044	0
					Total=	54,74,177	0
3	40616	COS Notice-6	Addl. 1x1200mm HPC on NH	576+596	3255/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 16th August,2023	6,75,256	0
					GST@18%	1,21,546	0
					Total=	7,96,802	0
4	41001 Mod11	COS Notice-11	1x2x2m BC Upgraded to 1x5x3m BC	532+780	1874/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 08th July,2024	1,44,20,533	0
					GST@18%	25,95,696	0
					Total=	1,70,16,229	0
5	41003	COS Notice-10	Addl. 1x1200mm HPC in MCW	529+950	1195/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 06th June,2024	18,26,437	0
					GST@18%	3,28,759	0
					Total=	21,55,196	0
6	41005	COS Notice-10	Addl. 1x1200mm HPC in MCW & SR	538+900	1195/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 06th June,2024	18,46,462	0
					GST@18%	3,32,363	0
					Total=	21,78,825	0
7	41101	COS Notice-11	Addl. 1x3x3m BC in MCW only	528+860	1874/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 08th July,2024	58,01,231	0
					GST@18%	10,44,222	0
					Total=	68,45,453	0
					Grand Total=	2,98,55,476	0
					Add GST@18%	53,73,986	0
					Grand Total with 18% GST=	3,52,29,462	0
Note:-GST shall be payable as applicable.							

Order Issued on 17.12.2024 (06No. Structures)

**Change Of Scope Order No.-5 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement
vide Ref. No. 5132/UPEIDA/2987-Gr-IV (TC)/Tech., Dated: 17 December, 2024**

Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/ P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	40105	COS Notice-1	Addl. 1x7mx4m SVUP	457+950	370/UPEIDA/259 3-IV/ Tech., dated 19th April,2023	6,56,57,533	52,702
					GST@18%	1,18,18,356	9,486
					Total=	7,74,75,889	62,188
2	40106	COS Notice-1	Addl. 1x7mx4m SVUP	458+610	370/UPEIDA/259 3-IV/ Tech., dated 19th April,2023	4,95,42,322	52,702
					GST@18%	89,17,618	9,486
					Total=	5,84,59,940	62,188
3	40110	COS Notice-1	Upgrade BC to PUP	507+700	370/UPEIDA/259 3-IV/ Tech., dated 19th April,2023	3,97,59,882	52,702
					GST@18%	71,56,779	9,486
					Total=	4,69,16,661	62,188
4	40201	COS Notice-2	Addl. 1x7mx4m SVUP	463+200	647/UPEIDA/259 3-IV/ Tech., dated 01st May,2023	1,97,63,440	52,702
					GST@18%	35,57,419	9,486
					Total=	2,33,20,859	62,188
5	40701	COS Notice-7	Addl. 1x2x2m Box Culvert & HPC on cross road	596+640	5915/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 22 nd Dec., 2023	47,98,820	0
					GST@18%	8,63,788	0
					Total=	56,62,608	0
6	40805	COS Notice-8	Addl. 1x2x2m Box Culvert in Addl. SR (RHS)	590+650	31/UPEIDA/ 2593-IV/ Tech., dated 01 st April, 2024	6,94,060	0
					GST@18%	1,24,931	0
					Total=	8,18,991	0
					Grand Total=	18,02,16,057	2,10,808
					Add GST@18%	3,24,38,891	37,944
					Grand Total with 18% GST=	21,26,54,948	2,48,752
Note:-GST shall be payable as applicable.							

Order Issued on 27.12.2024 (06No. Structures)

Change Of Scope Order No.- <u>6</u> Under Article 16.2.3 of Concession Agreement vide Ref. No. 5336/UPEIDA/2987-Gr-IV (TC-II)/Tech., Dated: 27 December, 2024							
Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/ P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8

1	40108-Mod07	COS Notice-1	PUP in place of earlier approved SVUP	466+180	5915/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 22 nd Dec., 2023	75,29,558	52,702
					GST@18%	13,55,320	9,486
					Total=	88,84,878	62,188
2	40111	COS Notice-1	Upgrade BC to PUP	511+279	370/UPEIDA/259 3-IV/ Tech., dated 19th April,2023	1,71,31,746	52,702
					GST@18%	30,83,714	9,486
					Total=	2,02,15,460	62,188
3	40113	COS Notice-1	Upgrade BC to PUP	541+970	370/UPEIDA/259 3-IV/ Tech., dated 19th April,2023	1,07,77,164	52,702
					GST@18%	19,39,890	9,486
					Total=	1,27,17,054	62,188
4	40114-mod10	COS Notice-1	Addl. 1x7mx3m PUP in place of earlier approved SVUP	547+720	1195/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 04 th June,2024	3,40,25,865	52,702
					GST@18%	61,24,656	9,486
					Total=	4,01,50,521	62,188
5	40603	COS Notice-6	Addl. 1x3x3m BC, MCW & SR	465+796	3255/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 16th August,2023	48,52,398	0
					GST@18%	8,73,432	0
					Total=	57,25,830	0
6	40801-mod09	COS Notice-8	Earlier approved 1x2x2m BC, MCW & SR, LHS only, modified for LHS+RHS	517+600	31/UPEIDA/ 2593-IV/ Tech., dated 01 st April, 2024	82,81,415	0
					GST@18%	14,90,655	0
					Total=	97,72,070	0
					Grand Total=	8,25,98,146	2,10,808
					Add GST@18%	1,48,67,667	37,944
					Grand Total with 18% GST=	9,74,65,813	2,48,752
Note:-GST shall be payable as applicable.							

Order Issued on 03.02.2025 (06No. Structures)

Change Of Scope Order No.-Z Under Article 16.2.3 of Concession Agreement
vide Ref. No. 6119/UPEIDA/2987-Gr-IV/Tech., Dated: 03 February, 2025

Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/ P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8

1	40301	COS Notice-3	Upgrade BC to PUP	588+256	2756/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 26 th July, 2023	88,29,547	52,702
					GST@18%	15,89,318	9,486
					Total=	1,04,18,865	62,188
2	40617	COS Notice-6	Addl. 1x2x2m BC in MCW & SR	587+260	3255/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 16 th Aug., 2023	56,97,306	0
					GST@18%	10,25,515	0
					Total=	67,22,821	0
3	40618	COS Notice-6	Addl. 1x2x2m BC in MCW only	587+385	3255/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 16 th Aug., 2023	43,33,955	0
					GST@18%	7,80,112	0
					Total=	51,14,067	0
4	40619	COS Notice-6	Addl. BC Variable Size SR only	589+700	3255/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 16 th Aug., 2023	31,94,119	0
					GST@18%	5,74,941	0
					Total=	37,69,060	0
5	40901	COS Notice-9	Upgrade BC to PUP	593+095	711/UPEIDA/259 3-IV/ Tech., dated 08 th May, 2024	73,11,455	52,702
					GST@18%	13,16,062	9,486
					Total=	86,27,517	62,188
6	41004	COS Notice-10	Addl. 1x1200mm HPC in MCW & SR	530+220	1195/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 06 th June, 2024	13,82,726	0
					GST@18%	2,48,891	0
					Total=	16,31,617	0
					Grand Total=	3,07,49,108	1,05,404
					Add GST@18%	55,34,839	18,972
					Grand Total with 18% GST=	3,62,83,947	1,24,376
Note:-GST shall be payable as applicable.							

Order Issued on 07.03.2025 (05No. Structures)

Change Of Scope Order No.-8 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement vide Ref. No. 6747/UPEIDA/2987-Gr-IV/Tech., Dated: 07 March, 2025							
Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/ P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	40606-mod14	COS Notice-6 modified vide COS-14	Addl. 1x2x2m BC in MCW & SR, LHS	535+000	3255/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 16 th Aug., 2023	35,82,893	0

					GST@18%	6,44,921	0
					Total=	42,27,814	0
2	40608-mod14	COS Notice-6 modified vide COS-14	Addl. 1x2x2m BC in MCW & SR, LHS+RHS +Ramps, LHS+RHS	541+860	3255/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 16th Aug.,2023	58,43,321	0
					GST@18%	10,51,798	0
					Total=	68,95,119	0
3	40705	COS Notice-07	Upgrade MNB to larger size MNB	487+285	5915/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 22 nd Dec.,2023	16,06,759	0
					GST@18%	2,89,217	0
					Total=	18,95,976	0
4	40902	COS Notice-09	Addl. Box Culvert, 1x2x2m on SR, LHS Ch. 571+530, 571+756, 571+936, 572+410	571+243	711/UPEIDA/259 3-IV/ Tech., dated 08th May,2024	52,50,053	0
					GST@18%	9,45,010	0
					Total=	61,95,063	0
5	41201	COS Notice-12	Addl. RE Wall & Toe Wall	600+456	2482/UPEIDA/25 93-IV/ Tech., dated 01 st Aug.,2024	1,50,81,826	0
					GST@18%	27,14,729	0
					Total=	1,77,96,555	0
					Grand Total=	3,13,64,852	0
					Add GST@18%	56,45,675	0
					Grand Total with 18% GST=	3,70,10,527	0
Note:-GST shall be payable as applicable.							

वित्तीय प्रभाव— वर्तमान प्रस्ताव में 90वीं बोर्ड बैठक के पश्चात अब तक निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर सम्मिलित हैं। कन्सेशनायर्स द्वारा नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त कार्यों का आगणन गठित किया गया, जिसका इंडिपेन्डेन्ट इंजीनियर द्वारा परीक्षण एवं सत्यापन करने के उपरान्त अथॉरिटी द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप के आर्डर निर्गत किये गये हैं एवं कार्यों की लागत निम्नानुसार है:—

ग्रुप सं०	लागत (रु०)	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिषत	अनुरक्षण लागत प्रतिवर्ष (रु०)
I	34,46,88,632	1.046	0.00
II	27,72,23,732	0.706	62,188
III	110,17,65,669	3.032	32,33,178
IV	41,86,44,697	1.187	6,21,880

कुल योग	214,23,22,730		39,17,246
---------	---------------	--	-----------

अब तक निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर के अनुसार कार्यों की कुल लागत निम्नानुसार है:-

घुप सं०	90वीं बोर्ड बैठक तक लागत (रु०)	91वीं बोर्ड बैठक में लागत (रु०)	अब तक कुल लागत (रु०)	अब तक प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिषत
I	169,92,98,595	34,46,88,632	204,39,87,227	6.206
II	250,87,43,927	27,72,23,732	278,59,67,659	7.093
III	49,82,73,252	110,17,65,669	160,00,38,921	4.403
IV	10,08,60,692	41,86,44,697	51,95,05,389	1.473
कुल योग	480,71,76,466	214,23,22,730	694,94,99,196	

औचित्य एवं विश्लेषण- कन्सेशन अनुबन्ध के प्रस्तर 16.2.2 में व्यवस्था दी गयी है:-

Upon receipt of a Change of Scope Notice, the Concessionaire shall, with due diligence, provide to the Authority such information as is necessary, together with preliminary Documentation in support of:

(b) the options for implementing the proposed Change of Scope and the effect, if any, each such option would have on the costs and time thereof, including a detailed breakdown by work classifications specifying the material and labour costs calculated in accordance with the schedule of rates applicable to the works assigned by the Authority to its contractors, along with the proposed premium/discount on such rates; provided that the cost incurred by the Concessionaire in providing such information shall be reimbursed by the Authority to the extent such cost is certified by the Independent Engineer as reasonable.

तथा प्रस्तर 16.2.3 में व्यवस्था दी गयी है:-

Upon receipt of information set forth in Clause 16.2.2, if the Authority decides to proceed with the Change of Scope, it shall convey its preferred option to the Concessionaire, and the Parties shall, with assistance of the Independent Engineer, thereupon make good faith efforts to agree upon the time and costs for implementation thereof. Upon reaching an agreement, the Authority shall issue an order (the "Change of Scope Order") requiring the Concessionaire to proceed with the performance thereof. In the event that the Parties are unable to agree, the Authority may, by issuing a Change of Scope Order, require the Concessionaire to proceed with the performance thereof pending resolution of the Dispute, or carry out the works in accordance with Clause 16.5.

उक्त व्यवस्थाओं के अनुपालन में चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस एवं चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर को निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान में लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-10

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के 05 वर्षों के लिए रख-रखाव हेतु कॉन्ट्रैक्टर के चयन एवं अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी के दर निर्धारण के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, सर्विस रोड, स्ट्रक्चर्स आदि के 05 वर्षों के लिए रख-रखाव हेतु कॉन्ट्रैक्टर के चयन हेतु दिनांक 08.11.2024 को ई-टेंडर पोर्टल पर निविदा अभिलेख प्रकाशित कर इच्छुक निविदाकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उक्त के क्रम में दिनांक 03.01.2025 को 17 बिडस् ऑनलाइन प्राप्त हुई थीं, जिनमें से तकनीकी मूल्यांकनोपरान्त 15 निविदाओं को तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया था। अन्य 02 निविदाकर्ताओं द्वारा डाक्यूमेंट फी एवं ई0एम0डी0 जमा नहीं किये जाने तथा उनकी ऑनलाइन तकनीकी निविदा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने के कारण निरस्त कर दीं गयीं थीं। तकनीकी रूप से अर्ह समस्त 15 निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदाएं दिनांक 07.02.2025 को Designated Committee एवं निविदाकर्ता के प्रतिनिधियों के समक्ष खोली गई थीं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

S. No.	Name of Applicants	Financial bid +/- Percentage
1	M/S KRISHNA CONSELLATION PVT LTD	-12.20
2	M/S MKC INFRA LTD	-22.16
3	M/S KCC BUILDCON PVT LTD	-11
4	M/S DILIP BUILDCON	+9.99
5	M/S EAGLE INFRA INDIA LTD	+1.71
6	M/S BGCC-ATLAS (JV)	-36.36
7	M/S GAWAR CONSTRUCTION LTD	-13.34
8	M/S CEIGAL INDIA LTD	-25.16
9	M/S NKC PROJECTS PVT LTD	-18.20
10	M/S CDS INFRA PROJECTS LTD	-34.51
11	M/S IRCON INTERNATIONAL LTD	-20.54
12	M/S SHIVALAYA CONSTRUCTION PVT LTD	-36.36
13	M/S DINESH CHANDRA R AGARWAL INFRA CON PVT LTD	-30.58
14	M/S HG INFRA ENGINEERING LTD	-15.62
15	M/S PATEL INFRASTRUCTURE LTD	-15.78

2- उपरोक्तानुसार 02 निविदाकर्ताओं यथा M/S BGCC-ATLAS (JV) एवं M/S SHIVALAYA CONSTRUCTION PVT LTD द्वारा समान न्यूनतम वित्तीय निविदा (-36.36 %) जमा की गई थी। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी 'Guidelines for Selection of Consultant and Developers for PPP projects in UP' में दिये गये प्राविधान 'In the event that two or more bidders have quoted the same final offer, Employer shall identify the preferred bidder by asking the two bidders to provide their best and final offer. The bidder offering the most advantageous final offer, shall be adjudged the winner' के अनुसार दोनों समान न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले उपरोक्त निविदाकर्ताओं से उनके best and final offers सीलड लिफाफों में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

3- उपरोक्तानुसार दोनों समान न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ताओं द्वारा सीलड लिफाफों में प्रस्तुत best and final offers को Designated Committee की बैठक दिनांक 14.02.2025 में दोनों निविदाकर्ताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला गया था, जिनका विवरण निम्नवत् हैं:-

Sl. No.	Name of Applicants	Original Financial Bid (+/- %) (Excluding GST)	Best and Final Financial Bid as per revised offers received on 14.02.2025 (+/- %) (Excluding GST)
1	M/S BGCC-ATLAS (JV)	(-)36.36	(-)36.37
2	M/S SHIVALAYA CONSTRUCTION PVT LTD	(-)36.36	(-)36.36

4- उपरोक्तानुसार M/S BGCC-ATLAS (JV) द्वारा प्रस्तुत संशोधित वित्तीय निविदा (-36.37 %) को अनुमानित लागत के सापेक्ष unbalanced पाया गया था, अतः आर0एफ0पी0 अभिलेख के Clause no. 28.2 के क्रम में निविदाकर्ता से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। तदक्रम में निविदाकर्ता M/S

BGCC-ATLAS (JV) द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28.02.2025 द्वारा स्पष्टीकरण देते हुए लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने का अनुरोध किया गया था।

5— उपरोक्तानुसार, न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा L-1 से L-4 (-36.37 % से -30.58 %) तक की वित्तीय निविदाओं की consistency एवं competition के आलोक में तथा Unbalanced Bid के कारण अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी (PWD के GO दिनांक 09.08.2024 के अनुसार @ 26.37% of Bid Price amounting to Rs. 257.32 Crores) जमा की जाने की शर्त के साथ 'लेटर ऑफ अवार्ड' दिनांक 05.03.2025 जारी किया गया था।

6— उपरोक्तानुसार, जारी किये गये 'लेटर ऑफ अवार्ड' के क्रम में M/S BGCC-ATLAS (JV) के पत्र सं0 BGCC/225/346 दिनांक 12.03.2025 द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं से अवगत कराया गया है:-

1. Their bid is not seriously unbalanced in view of the following points:-

(i) They have indicated that there is no definition given in the bid document for 'Unbalanced Bid'. The tender was invited on percentage rate wherein uniform rates were quoted for all the items. Hence as no definition of Unbalanced Bid is given, their submitted bid will nowhere come under the Clause 28.2 of RFP Document (regarding unbalanced bid).

(ii) They have further submitted that their bid is not seriously unbalanced as is evident from the fact that lowest three bidders had quoted their financial bids as under:-

i.	L-1 - M/s BGCC-Atlas (JV)	(-)36.36%
ii.	L-2 - M/s Shivalaya Construction Company Pvt. Ltd.	(-)36.36%
iii.	L-3 - M/s CDS Infra Project Ltd.	(-)34.51%

They have indicated that from the above it is evident that there is no much difference in rates of lowest three bidders and hence their bid can not be treated as unbalanced bid.

(iii) The Authority had invited bids in two parts of BOQ i.e. (a) the periodic maintenance which is 59.56% (Rs. 913.52/ Rs. 1533.58) of estimated cost, which is having a definite BOQ with rates and quantities. Whereas, the second part is of routine maintenance, which is 40.44% (Rs. 620.05/ Rs. 1533.58) of estimated cost, for which a lump sum BOQ with quarterly payment has been specified. Both BOQ's were clubbed together and the bidders were asked to quote a single percentage of clubbed BOQ. They have indicated that a same percentage can not be levied for execution of a definite specified BOQ and on a lump sum BOQ. The Contractor, after all its calculation, has considered the entire contract as a percentage deal and quoted a percentage BOQ.

2. As per circular no. NH-37015/01/2022-H-Part (1) (Comp No. 212632), issued by MoRTH (Highways Section), GOI dated 31.08.2022 (छायाप्रति संलग्नक-4), NHAI/MoRTH, who are majorly constructing road projects on pan India basis, have incorporated the clause in its RFP/Bid Document w.r.t. the Performance/Additional Performance Security as under:-

"2.21 Performance Security

Within 30 (thirty) days of receipt of Letter of Acceptance, the selected bidder shall furnish to the Authority an irrevocable and unconditional Guarantee from a Bank in the form set forth in appendix-VII (the "Performance Security") for an amount equal to 3% (three percent) of its Bid Price. In case of Bids mentioned below, the Selected Bidder, along with the Performance Security, shall also furnish to the Authority an irrevocable and unconditional guarantee from a Bank in the same form given at Appendix-VII towards an Additional Performance Security (the "Additional performance Security") for an amount calculated as under:

(i) If the bid price offered by the selected bidder is lower than 20% of the estimated project cost/cost put to tender, the additional performance security shall be calculated @ 20% of the difference in the (i) Estimated Project cost (as mentioned in RFP) – 20% of the Estimated Project Cost and (ii) the Bid Price offered by the Selected Bidder.

(ii) Maximum limit of additional performance security shall be limited to 3% of the bid Price offered by the selected bidder.

(iii) The additional Performance security shall be treated as part of the performance security."

They have further indicated that in addition to the above, MoRTH vide their circular no. NH-37015/01/2022-H(Comp. no. 208778) issued by MoRTH (Highways Section), GOI, dated 29.02.2024 (छायाप्रति संलग्नक-5) have restricted the additional Bank Guarantee to a maximum value of 3% of the Bid price offered by selected bidder.

3. They have further indicated that they have also contacted their Lead Banker viz. Union Bank of India for issue of the said additional Performance Bank Guarantee (PBG) as per the 'LOA'. However, their bank has declined their request considering the huge amount of PBG with respect to the quantum of work.

4. With above submissions, M/s BGCC-ATLAS (JV) have requested UPEIDA to remove the said condition of Additional Performance Bank Guarantee, however, they have indicated that as a good gesture, they are ready to deposit additional performance Bank Guarantee of 3%, as applicable in NHAI/MoRT&H.

They have further requested that the additional Performance Bank Guarantee of 3% should be released on completion of periodic maintenance work.

5. They have submitted the scanned copy of LOA, duly signed and accepted subject to consideration of their aforesaid requests.

6. They have further requested UPEIDA to grant time upto 31st March 2025 to enable them to submit Performance Bank Guarantee of 3% and additional Performance Bank Guarantee of 3%, if any, as submitted by them.

In light of the above submissions made by the L-1 bidder M/s BGCC-ATLAS (JV) in response to the 'LOA' issued by the Authority in their favour, vide letter no. 6665/UPEIDA/2024/3345/Vol-II dated 05.03.2025, a view is to be taken on the following points:-

a.) Amount of additional Performance Bank Guarantee towards unbalanced bid submitted by the L-1 bidder:

M/s BGCC-ATLAS (JV) have requested to consider additional Performance Bank Guarantee to the maximum of 3% of their bid price as per the provision of NHAI/MoRT&H.

b.) Release of the additional Performance Bank Guarantee:

M/s BGCC-ATLAS (JV) have requested for return of additional Performance Bank Guarantee after completion of periodic maintenance work.

c.) Extension of time period for submission of Performance Bank Guarantee including additional Performance Bank Guarantee:

M/s BGCC-ATLAS (JV) have requested to grant time up to 31st March 2025 to enable them to submit Performance Bank Guarantee of 3% and Additional Performance Bank Guarantee of 3%.

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव—

1- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, सर्विस रोड, स्ट्रक्चर्स आदि के 05 वर्षों के लिए रख-रखाव हेतु कॉन्ट्रैक्टर के चयन हेतु प्राधिकरण की 'नामित समिति' द्वारा उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही से सहमति की दशा में L-1 बिडर M/s BGCC-ATLAS (JV) के चयन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

2- L-1 बिडर M/s BGCC-ATLAS (JV) को जारी किये गये 'लेटर ऑफ अवार्ड' में L-1 बिडर की Unbalanced वित्तीय निविदा होने के कारण अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी जमा करने के संबंध में रखी गई शर्त के क्रम में बिडर द्वारा उपरोक्तानुसार किये गये अनुरोध एवं MoRTH, GoI द्वारा जारी सर्कुलर सं0 37015/01/2022-H-Part (1) (Comp no. 208778) दिनांक 29.02.2024 एवं सर्कुलर सं0 37015/01/2022-H-Part (1) (Comp no. 212632) दिनांक 31.08.2022 में 'Additional Performance Security' हेतु दिये गये प्राविधान के अनुसार निम्नवत् प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल कृपया विचार करना चाहें—

(i) 'Additional Performance Security' हेतु MoRTH, GoI द्वारा जारी सर्कुलर सं0 37015/01/2022-H-Part (1) (Comp no. 208778) दिनांक 29.02.2024 एवं सर्कुलर सं0 37015/01/2022-H-Part (1) (Comp no. 212632) दिनांक 31.08.2022 में दिये गये प्राविधान के अनुसार 'Additional Performance Security' की गणना निम्नवत् की जाए:—

(a) If the bid price offered by the selected bidder is lower than 20% of the estimated project cost/cost put to tender, the additional performance security shall be calculated @ 20% of the difference in the (i) Estimated Project cost (as mentioned in RFP) – 20% of the Estimated Project Cost and (ii) the Bid Price offered by the Selected Bidder.

(b) Maximum limit of additional performance security shall be limited to 3% of the bid Price offered by the selected bidder.

(ii) चयनित निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई 'Additional Performance Security' को Periodic Renewal Work (जो कि समस्त अनुबंधित कार्य का लगभग 60 प्रतिशत है) के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त (यदि कोई Dispute/Arbitration लम्बित न हो), मुक्त कर दी जाये।

(iii) चयनित निविदाकर्ता को Performance Bank Guarantee (3% of Bid Price) एवं Additional Performance Bank Guarantee (3% of Bid Price) को दिनांक 31.03.2025 तक जमा करने का समय प्रदान किया जाये।

3- उपरोक्त के अतिरिक्त यूपीडा द्वारा विकसित किये जा रहे अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से संबंधित बिड अभिलेखों में भी 'Additional Performance Security' के संबंध में उपरोक्तानुसार MoRTH, GoI द्वारा जारी सर्कुलर सं० 37015/01/2022-H-Part (1) (Comp no. 208778) दिनांक 29.02.2024 एवं सर्कुलर सं० 37015/01/2022-H-Part (1) (Comp no. 212632) दिनांक 31.08.2022 के अनुसार प्राविधान रखा जाये।

निदेशक मण्डल द्वारा फर्म के चयन का संज्ञान लेते हुए अत्यधिक Low Bid की दशा में अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी के दर निर्धारण हेतु MoRTH की गाईड लाईन को अंगीकृत कर फर्म को ए०पी०बी०जी० जमा किये जाने व अग्रिम आर०एफ०पी० में उपरोक्तानुसार प्राविधान रखे जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-11

उ०प्र० डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, अलीगढ़ (फेज-2) एवं आगरा नोड के अवस्थापना विकास कार्यों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित विस्तृत आगणन से सम्बन्धित प्रकरण मा० निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ।

प्रस्ताव-

तत्कम में अलीगढ़ नोड को विस्तारित किये जाने के फलस्वरूप फेज-2 के अंतर्गत लगभग 87.88 हे० तथा आगरा नोड के अंतर्गत 123.135 हे० भूमि का अधिग्रहण गतिमान है। अलीगढ़ नोड (फेज-2) तथा आगरा नोड के अवस्थापना विकास कार्यों हेतु प्रक्रिया गतिमान है, जिसका विवरण नोडवार निम्नवत् है:-

01. अलीगढ़ नोड (फेज-2)

अलीगढ़ नोड में (फेज-2) के अवस्थापना विकास कार्यों हेतु चयनित परामर्शी द्वारा गठित लागत रू० 99.155 करोड़ का विस्तृत आगणन शासन को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया, जिसमें वाहय विद्युतीकरण का कार्य को छोड़कर अन्य सभी अवस्थापना कार्य (आन्तरिक सड़क, आन्तरिक प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवर, बाउन्ड्रीवाल, गेट एवं फायर स्टेशन इत्यादि कार्य) का समेकित आगणन गठन लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दर, MoRTH की गाइडलाइन, भवन हेतु डी.एस.आर के आधार पर है, जिसका परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग उ०प्र० शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त दिनांक 12.03.2025 व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। आगणन की लागत का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

Summary of Cost Estimates (Aligarh Node - Phase-2)

Sr. No.	Item of Work	Total (In Rs.)
---------	--------------	----------------

Sr. No.	Item of Work	Total (In Rs.)
A	ROAD WORKS	20,73,12,809.59
	24 M (2975 M) & 18 M (185 M) WIDE INTERNAL ROADS	
B	BUILDING WORKS	3,17,89,897.98
	FIRE STATION	2,50,34,477.64
	GATE -30.0 M WIDE	67,55,420.34
C	WATER SUPPLY (OHT - 03 Nos.) (1,056 KLD)	12,64,53,937.63
D	SEWERAGE + S.T.P. (2.52 MLD)	5,11,94,830.48
E	DRAINAGE (STORM WATER DRAIN) (6,668 M)	14,56,70,697.88
F	BOUNDARY WALL (4,806 M)	8,49,49,917.56
G	INTERNAL ELECTRICAL WORK	
	Cost for Street light system	5,17,85,870.51
H	TOTAL PROJECT COST (WITHOUT TAXES AND O&M)	69,91,57,961.64
	GST @ 18%	12,58,48,433.09
	Contingency @ 1% of (H)	69,91,579.62
	Labour Cess @ 1 %	69,91,579.62
	Agency Charges @ 2% of (H)	1,39,83,159.23
	Supervision Charges @ 2% of (H)	1,39,83,159.23
	Maintenance Cost for 5 Years @ 5% of (H)	3,49,57,898.08
	TOTAL COST CIVIL WORKS	90,19,13,770.51
	Electrical work to be implemented by UPPCL	7,59,65,294.75
	Add GST @ 18%	1,36,73,753.06
	Total Cost of work to be implemented by UPPCL	8,96,39,047.81
	TOTAL PROJECT COST (INCLUDING MAINTAINANCE FOR 5 YEARS)	99,15,52,818.32
	In Crores	99.155

02. आगरा नोड

आगरा नोड में अवस्थापना विकास कार्यो हेतु चयनित परामर्शी द्वारा गठित लागत रू0 186.37 करोड़ का विस्तृत आगणन शासन को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया, जिसमें बाह्य विद्युतीकरण का कार्य को छोड़कर अन्य सभी अवस्थापना कार्य (पहुंच मार्ग, आन्तरिक सड़क, आन्तरिक प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवर, बाउन्ड्रीवाल, गेट एवं फायर स्टेशन इत्यादि कार्य) का समेकित आगणन गठन लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दर, MORTH की गाइडलाइन, भवन हेतु डी. एस.आर के आधार पर है, जिसका परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग उ0प्र0 शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त दिनांक 12.03.2025 व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। आगणन की लागत का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

Summary of Cost Estimate (Agra Node)

Sr. No.	Item of Work	Total (In Rs.)
A	ROAD WORKS	81,77,33,830.73
	24 M & 18 M WIDE ACCESS ROADS TO PLOTS (4,402 M)	31,76,81,674.06
	APPROACH ROAD WITH RAMPS (2,750 M)	50,00,52,156.67
B	BUILDING WORKS	3,15,66,184.09
	FIRE STATION	2,52,41,696.67
	GATE -30.0 M WIDE	63,24,487.42
C	WATER SUPPLY (OHT - 04 Nos.)(1056 KLD)	17,98,04,202.14
D	SEWERAGE + S.T.P. (3.05 MLD)	6,02,73,681.84
E	DRAINAGE (STORM WATER DRAIN)(8,841 M)	17,41,10,559.68
F	BOUNDARY WALL (5,485.78 M)	9,78,39,136.05
G	INTERNAL ELECTRICAL WORKS	
	Cost for Internal Electrical Works	8,33,67,801.04
H	PROJECT COST (WITHOUT TAXES AND O&M)	1,44,46,95,395.55
	GST @ 18% of (H)	26,00,45,171.20
	Contingency @ 1% of (H)	1,44,46,953.96
	Labour Cess @ 1 % of (H)	1,44,46,953.96

Agency Charges @ 2 % of (H)	2,88,93,907.91
Supervision Charges @ 2% of (H)	2,88,93,907.91
Maintenance Cost for 5 Years @ 5% of (H)	7,22,34,769.78
TOTAL PROJECT COST	1,86,36,57,060.26
(In Crore)	186.37

अलीगढ़ नोड (फेज-2) एवं आगरा नोड के अवस्थापना विकास कार्यो हेतु उपरोक्त प्रेषित आगणनों पर शासन द्वारा स्वीकृति निर्गत किये जाने के उपरान्त ई.पी.सी. पद्धति पर निविदा आमंत्रण के माध्यम निर्माणकर्ता संस्थाओं का चयन किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव से मा0 निदेशक मंडल द्वारा संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-12

Integrated Manufacturing and Logistic Cluster (IMLC), उन्नाव में अवस्थापना विकास कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित विस्तृत आगणन से सम्बन्धित प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ।

उ0 प्र0 सरकार प्रदेश के 28 जनपदों में 29 स्थलों पर उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत **Integrated Manufacturing and Logistic Cluster (IMLC)** की स्थापना किया जाना है, जिनके अंतर्गत भूमि चिन्हित कर भूमि कय/अधिग्रहण का कार्य गतिमान है। **IMLC** के अंतर्गत निवेशकों की सुविधा हेतु अवस्थापना विकास कार्यो (आन्तरिक सड़क, आन्तरिक प्रकाश व्यवस्था व विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवर, फेन्सिंग, गेट एवं फायर स्टेशन इत्यादि कार्य) को त्वरित गति से पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव-

तत्कम में जनपद उन्नाव के अंतर्गत चिन्हित 132.53 हे0 भूमि के सापेक्ष 131.79 हे0 भूमि कय/अधिग्रहित की जा चुकी है। **IMLC** उन्नाव में अवस्थापना विकास कार्यो हेतु चयनित परामर्शी द्वारा गठित लागत रु0 199.45 करोड़ का विस्तृत आगणन शासन को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया, जिसमें वाहय विद्युतीकरण का कार्य को छोड़कर अन्य सभी अवस्थापना कार्य (पहुंच मार्ग, आन्तरिक सड़क, आन्तरिक प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवर, फेन्सिंग, गेट एवं फायर स्टेशन इत्यादि कार्य) का समेकित आगणन गठन लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दर, MORTH की गाइडलाइन, भवन हेतु डी.एस.आर के आधार पर है, जिसका परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग उ0प्र0 शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त दिनांक 12.03.2025 व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। आगणन की लागत का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

Summary of Cost Estimates (IMLC Unnao)

Sr. No.	Item of Work	Total (In Rs.)
A	ROAD WORKS 30 M Wide (3056 M) & 18 M WIDE (195 M)	26,94,51,991.96
B	INTERNAL ROADS	
B	BUILDING WORKS	3,01,67,992.62
	FIRE STATION	2,45,56,460.47
	GATE	21,16,811.89
	PUMP ROOM	34,94,720.26
C	WATER SUPPLY	19,35,75,776.59
	OVER HEAD TANK (3 NOS. 1056 lts)	7,69,65,635.10
	OVER HEAD TANK (2 NOS. 600 lts)	3,34,77,990.77
	EXTERNAL WATER SUPPLY SYSTEM	3,88,08,594.72
	Borewell	4,43,23,556.00
D	SEWERAGE + S.T.P.	11,62,52,926.31
E	DRAINAGE (STORM WATER DRAIN 6502 M)	12,93,39,342.08

Sr. No.	Item of Work	Total (In Rs.)
F	BARBED WIRE FENCING (7183.7 Mtr)	37,18,610.46
G	INTERNAL ELECTRICAL WORK	8,73,47,633.49
	PROJECT COST (WITHOUT TAXES AND O&M)	82,98,54,273.52
	GST @ 18%	14,93,73,769.23
	Contingency @ 1%	82,98,542.74
	Labour Cess @ 1 %	82,98,542.74
	Supervision Charges @ 2%	1,65,97,085.47
	Agency Charges @ 2%	1,65,97,085.47
	Maintenance Cost for 5 Years @ 5%	4,14,92,713.68
	TOTAL COST	1,07,05,12,012.84
H	External Electrical work to be Implemented by UPPTCL/UPPCL	78,30,50,847.46
	Add GST @ 18%	14,09,49,152.54
	Total Cost of work to be Implemented by UPPTCL	92,40,00,000.00
	TOTAL PROJECT COST	1,99,45,12,012.84
	In Crores	199.45

IMLC उन्नाव के अवस्थापना विकास कार्यो हेतु उपरोक्त प्रेषित आगणन पर शासन द्वारा स्वीकृति निर्गत किये जाने के उपरन्त ई.पी.सी. पद्धति पर निविदा आमंत्रण के माध्यम निर्माणकर्ता संस्थाओं का चयन किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव से मा0 निदेशक मंडल द्वारा संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-13

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में कार्यरत संस्थाओं (i) अथॉरिटी इंजीनियर मे0 टीपीएफ जेटिन्सा यूरोस्टूडियोज एस0एल0 को Construction Period में प्रदान की गई चतुर्थ समयवृद्धि (दि0-31.10.2024 से दि0-28.02.2025 तक) तथा (ii) राईट्स लि0 (Project Management Consultant cum External Auditor (PMC cum ETA) को प्रदान की गई चतुर्थ समयवृद्धि (दि0-01.01.2025 से दि0-31.05.2025 तक) पर मा0 निदेशक मण्डल के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ग्राम जैतपुर (जनपद-गोरखपुर) एन.एच.-27 बाईपास से प्रारम्भ होकर जनपद सन्त कबीरनगर, अम्बेडकरनगर होते हुए ग्राम सलारपुर (जनपद-आजमगढ़) में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाप्त होता है। यह एक्सप्रेसवे पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित 04 लेन एक्सप्रेसवे (06 लेन विस्तारणीय) है, जिसकी कुल लम्बाई 91.352 किमी० है। परियोजना का निर्माण कार्य दो पैकेजों में विभक्त है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

पैकेज संख्या	पैकेज का विवरण	अनुमानित लम्बाई (किमी० में)	अनुबन्ध की (करोड में)	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	कार्यदायी संस्था का नाम
01	जैत गोरखपुर बाईपास (जनपद-गोरखपुर) से कुलवरिया (जनपद-अम्बेडकर नगर) (-किमी० 0+817 से किमी० 47+500)	48.317	1774.09	10.02.2020	एपको इन्फ्राटेक प्रा०लि०
02	कुलवरिया (जनपद-अम्बेडकर नगर) से सलारपुर (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जनपद-आजमगढ़) (किमी० 47+500 से किमी० 90+535)	43.035	1250.01	19.06.2020	दिलीप बिल्डकॉन लि०
	योग	91.352	3024.10		

उल्लिखित दोनों एजेन्सियों को प्रदान की गई समयवृद्धियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

प्रस्ताव (i)

अथॉरिटी इंजीनियर मेसर्स टीपीएफ जेटिन्सा यूरोस्टूडियोज एस0एल0 को Construction Period में प्रदान की गई चतुर्थ समयवृद्धि (दिनांक 31.10.2024 से दिनांक 28.02.2025 तक) पर मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन।

- ईपीसी पद्धति पर निर्माण हेतु मेसर्स टीपीएफ जेटिन्सा यूरोस्टूडियोज एस0एल0 एवं यूपीडा के मध्य दिनांक 31.07.2020 को गठित अनुबन्ध के माध्यम से मेसर्स टीपीएफ जेटिन्सा यूरोस्टूडियोज एस0एल0 को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अथॉरिटी इंजीनियर हेतु अनुबन्धित किया है।
- अनुबन्ध के SCC क्लॉज सं0 2.4 के अनुसार अनुबन्ध की कुल अवधि 96 माह है जिसमें 36 माह Construction के लिए एवं 60 माह Maintenance Period के लिए स्थिर किये गये हैं।
- अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा दिनांक 19.07.2020 को अनुबन्ध के अन्तर्गत सेवाएं प्रारम्भ कर दी गयी।
- अथॉरिटी इंजीनियर के अनुबन्ध के अनुसार Construction Period दिनांक 19.07.2023 को पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा पैकेज 1 और 2 के निर्माणकर्ता को प्रदान की गयी समयवृद्धि के दृष्टिगत निम्न तीन समय वृद्धियाँ प्रदान की जा चुकी हैं-

क्रम सं0	समय वृद्धि	दिनांक	यूपीडा का पत्रांक
1	प्रथम समय वृद्धि	दिनांक 19.07.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक	3571/UPEIDA/20/1797/Tech. Dated 29-08-2023
2	द्वितीय समय वृद्धि	दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.07.2024 तक	2472/UPEIDA/24/1797/Tech. Dated 01-08-2024 and 2698/UPEIDA/1797/Tech. Dated 08-08-2024
3	तृतीय समय वृद्धि	दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 30.10.2024 तक	3636/UPEIDA/24/1797/Tech. Dated 23-09-2024

- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 का निर्माण कार्य पूर्ण होने की पुनरीक्षित तिथि 31.12.2024 थी किन्तु अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। माह फरवरी, 2025 तक पैकेज-1 की भौतिक प्रगति 96.85 प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति 93.92 प्रतिशत है। पैकेज-2 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा दिनांक 09.05.2024 को अन्तःकालीन पूर्णता प्रमाण-पत्र (Provisional Completion certificate) जारी किया जा चुका है।
- उपरोक्त के क्रम में अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा पत्र सं0 TPF/AE/SCIA037/UPEIDA/2023-24/4176 dated 12-11-2024 के माध्यम से दिनांक 31.10.2024 से दिनांक 28.02.2025 तक Construction Period में समयवृद्धि की माँग की गयी, जिसे यूपीडा के पत्रांक 6225/UPEIDA/24/1797/Tech. Dated 07-02-2025 तथा 6567/UPEIDA/24/1797/Tech. Dated 28-02-2025 द्वारा स्वीकृत किया गया है।

प्रस्ताव:-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अथॉरिटी इंजीनियर मेसर्स टीपीएफ जेटिन्सा यूरोस्टूडियोज एस0एल0 को दिनांक 31.10.2024 से दिनांक 28.02.2025 तक Construction Period में स्वीकृत समयवृद्धि का अनुमोदन निवेदित है।

प्रस्ताव के औचित्य का विश्लेषण:- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 का निर्माण कार्य पूर्ण होने की पुनरीक्षित तिथि 31.12.2024 थी किन्तु अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। माह फरवरी, 2025 तक पैकेज-1 की भौतिक प्रगति 96.85 प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति 93.92 प्रतिशत है। अतः परियोजना के समुचित पर्यवेक्षण हेतु अथॉरिटी इंजीनियर को उपरोक्तानुसार समयवृद्धि देना औचित्यपूर्ण है।

वित्तीय प्रभाव:- अथॉरिटी इंजीनियर के उपरोक्त अनुबन्ध की मूल लागत रु0 28,70,68,420 है। अथॉरिटी इंजीनियर को प्रदान की गई चतुर्थ समयवृद्धि के उपरान्त अनुबन्ध की पुनरीक्षित लागत रु0 31,66,20,788/- (स्वीकृत चारों समय वृद्धियों को सम्मिलित करते हुये) सम्भावित है जो कि अनुबन्ध की मूल लागत से 10.29 प्रतिशत अधिक है।

प्रस्ताव (ii)

राइट्स लि0 (Project Management Consultant cum External Auditor (PMC cum ETA) को प्रदान की गई चतुर्थ समयवृद्धि (दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक) पर मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन।

1. ई.पी.सी. पद्धति पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु राइट्स लि0 एवं यूपीडा के मध्य दिनांक 02.11.2020 को गठित अनुबन्ध के माध्यम से राइट्स लि0 को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अनुश्रवण, तकनीकी परीक्षण व अन्य कार्यों हेतु PMC cum ETA के रूप में कार्य करने हेतु अनुबन्धित किया गया है।
2. अनुबन्ध के SCC क्लॉज सं0 2.4 के अनुसार अनुबन्ध की कुल अवधि 36 माह या निर्माण कार्य पूर्ण होने तक निर्धारित है।
3. राइट्स लि0 द्वारा दिनांक 06.11.2020 को अनुबन्ध के अन्तर्गत सेवाएं प्रारम्भ कर दी गयी।
4. राइट्स लि0 के अनुबन्ध के अनुसार 36 माह की अवधि दिनांक 06.11.2023 को पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा पैकेज 1 और 2 के निर्माणकर्ता को प्रदान की गयी समयवृद्धि के दृष्टिगत निम्न तीन समय वृद्धियाँ प्रदान की जा चुकी है-

क्रम सं0	समय वृद्धि	दिनांक	यूपीडा का पत्रांक	बोर्ड बैठक में अनुमोदन
1	प्रथम समय वृद्धि	दिनांक 07.11.2023 से दिनांक 31.05.2024 तक	7543/UPEIDA/19/1877-XXI/Tech. Dated 13-03-2024	87वीं बोर्ड बैठक के एजेन्डा बिन्दु 26 पर
2	द्वितीय समय वृद्धि	दिनांक 01.06.2024 से दिनांक 30.09.2024 तक	1756/UPEIDA/19/1877/Tech. Dated 03-07-2024	88वीं बोर्ड बैठक के एजेन्डा बिन्दु 08 पर
3	तृतीय समय वृद्धि	दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक	3946/UPEIDA/1877/Tech. Dated 10.10.2024	90वीं बोर्ड बैठक के एजेन्डा बिन्दु 09 पर

5. अनुबन्ध के Appendix A:Description of services के अनुसार तकनीकी परीक्षण के कार्य, अंतिम तकनीकी परीक्षण (Final Technical Audit) के अंतर्गत Riding quality test, Pre opening road safety audit इत्यादि व अन्य कार्य राइट्स लि0 द्वारा किए जाने हैं।
6. उपरोक्त के क्रम में राइट्स लि0 द्वारा पत्रांक RITES/ HW/UPEIDA/GLE/2024/868 दिनांक-02.12.2024 के माध्यम से दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक चतुर्थ समयवृद्धि प्रदान करने की माँग की गयी थी, जिसे यूपीडा के पत्रांक 6874/UPEIDA/1877/Tech. Dated 19.03.2025 द्वारा स्वीकृत किया गया है।

प्रस्ताव के औचित्य का विश्लेषण:- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 का निर्माण कार्य पूर्ण होने की पुनरीक्षित तिथि 30.10.2024 थी किन्तु अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। माह फरवरी, 2025 तक पैकेज-1 की भौतिक प्रगति 96.85 प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति 93.92 प्रतिशत है।

अनुबन्ध के Appendix-A Description of services के अनुसार राइट्स लि० के कार्य/दायित्व निम्न है:-

Scope of Project Management Consultant (PMC)	Scope of Services as External Technical Audit (ETA)
1- Project Time Management	1. Stage I -Project Familiarisation
2- Project Design and Consultant	2. Stage II- Initial Technical Audit
3- Project Cost Management	3. Stage III- Intermediate Technical Audits(Monthly)
4- Project Quality Management	4. Stage IV- Final Technical Audit
—	5. Stage V – Report Submission

ETA के कार्य क्षेत्र के चतुर्थ चरण में अंतिम तकनीकी परीक्षण (Final Technical Audit) के अंतर्गत Riding quality test, Pre opening road safety audit, Test Drive of Expressway व अन्य परीक्षण कार्य सम्पादित किये जाने हैं।

अतः परियोजना के समुचित पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं तकनीकी परीक्षण हेतु राइट्स लि० को उपरोक्तानुसार समयवृद्धि देना औचित्यपूर्ण है।

वित्तीय प्रभाव: राइट्स लि० के उपरोक्त अनुबन्ध की मूल लागत ₹0 10,33,79,222/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) है। राइट्स लि० को स्वीकृत चतुर्थ समयवृद्धि के उपरान्त चारों समयवृद्धियों को समलित करते हुये अनुबन्ध की मूल लागत के सापेक्ष ₹0 2,70,05,612.00/- (मूल्य वृद्धि एवं जी०एस०टी० अतिरिक्त देय) का अतिरिक्त व्यय होगा, जो कि अनुबन्ध की मूल लागत से 26.12 प्रतिशत अधिक है। इस अतिरिक्त सम्भावित व्यय को सम्मलित करते हुये अनुबन्ध की पुनरीक्षित लागत ₹0 13,03,84,834/- है।

उल्लेखनीय है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पुनरीक्षित स्वीकृत आगणन में सुपरविजन चार्जस हेतु ₹0 98.78 करोड़ का प्राविधान है, जिसके सापेक्ष निम्नलिखित अनुबन्ध गठित है:-

क्रम सं०	परियोजना के सुपरविजन हेतु अनुबन्धित एजेन्सी	अनुबन्ध की मूल लागत (जी.एस.टी. एवं मूल्यवृद्धि रहित)	स्वीकृत समयवृद्धियों के उपरान्त अनुबन्ध की पुनरीक्षित लागत	टिप्पणी
1	अथॉरिटी इंजीनियर (टीपीएफ जेटिन्सा यूरोस्टूडिओस एसएल)	₹0 28,70,68,420/-	₹0 31,66,20,788/-	स्वीकृत चतुर्थ समयवृद्धि (दिनांक 28.02.2025 तक) तक
2	PMC cum ETA (राइट्स लि०)	₹0 10,33,79,222/-	₹0 13,03,84,834/-	स्वीकृत चतुर्थ समयवृद्धि (दिनांक 31.05.2025 तक) तक
योग		₹0 39,04,47,642/-	₹0 44,70,05,622/-	

उपरोक्तानुसार गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में कार्यरत संस्थाओं (i) अथॉरिटी इंजीनियर मेसर्स टीपीएफ जेटिन्सा यूरोस्टूडियोज एस०एल० को Construction Period में प्रदान की गई चतुर्थ समयवृद्धि (दिनांक 31.10.2024 से दिनांक 28.02.2025 तक) तथा (ii) राइट्स लि० (Project Management Consultant cum External Auditor (PMC cum ETA) को प्रदान की गई चतुर्थ समयवृद्धि (दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक) से संज्ञानित होते हुए मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-14

घाघरा नदी की जलधारा/बहाव में परिवर्तन (Meandering Effect) के कारण गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज-01 में चैनेज 45+980 पर निर्मित घाघरा दीर्घ सेतु (Major Bridge) के ए1 साइड (RHS) के तटबन्ध के क्षतिग्रस्त भाग को यूपीडा द्वारा नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निर्माण निगम द्वारा दीर्घ कालिक रूप से सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन की स्वीकृति के लिए शासन एवं पी.एफ.ए.डी को प्रेषण किये जाने हेतु मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ग्राम जैतपुर (जनपद-गोरखपुर) एन.एच.-27 बाईपास से प्रारम्भ होकर जनपद सन्त कबीरनगर, अम्बेडकरनगर होते हुए ग्राम सलारपुर (जनपद-आजमगढ़) में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाप्त होता है। यह एक्सप्रेसवे पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित 04 लेन एक्सप्रेसवे (06 लेन विस्तारणीय) है, जिसकी कुल लम्बाई 91.352 किमी० है, जिसमें पैकेज-1 के निर्माण कार्य की माह फरवरी, 2025 तक भौतिक प्रगति 96.85 प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति 93.92 प्रतिशत है, जबकि पैकेज-2 की अंतःकालीन पूर्णता प्रमाण-पत्र (Provisional Completion Certificate) दिनांक 09.05.2024 को निर्गत किया जा चुका है। एक्सप्रेसवे के सिविल निर्माण कार्य हेतु निम्नवत अनुबन्ध गठित है:-

पैकेज	ई०पी०सी० कान्ट्रेक्टर	अनुबन्धित लागत (रु करोड़ में)	अनुबन्ध का दिनांक
01	मेसर्स एपको इन्फ्राटेक प्रा० लि०	1774.09	18.01.2020
02	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लि०	1250.01	18.01.2020

प्रकरण की पृष्ठभूमि :-

1. ई०पी०सी० अनुबन्ध के Schedule B के क्लॉज सं० 7.1.2 में एक्सप्रेसवे के चैनेज 45+980 पर घाघरा नदी पर प्राविधानित दीर्घ सेतु (कुल सीधी लम्बाई 1450मी०) का निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा किया गया है।
2. घाघरा नदी की जलधारा/बहाव में परिवर्तन (Meandering Effect) के कारण उक्त निर्मित दीर्घ सेतु (Major Bridge) के ए1 साइड (RHS) का तटबन्ध (सेतु के अपस्ट्रीम में नदी के बायीं ओर) अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गया है।
3. वर्षा ऋतु के दौरान तटबन्ध का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29.09.2024 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान तटबन्ध में अत्यधिक कटाव को देखते हुये तटबन्ध की सुरक्षा हेतु मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को निरीक्षण कर तात्कालिक/दीर्घकालीन सुझाव दिये जाने हेतु कहा गया। मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता (गण्डक) द्वारा तात्कालिक उपाय के रूप में निबंधित ट्रीस्पर, प्रत्येक 30 से 50 मी० के अन्तराल पर जियो बैग/सीमेन्ट बैग में मिट्टी/सैंड भरकर कटर का निर्माण, युद्ध स्तर पर बोल्टर फिलिंग किये जाने हेतु कहा गया। तदनुसार यूपीडा के पत्रांक 3720/यूपीडा/1749/टेक. दिनांक 30.09.2024 के द्वारा ई.पी.सी. कान्ट्रेक्टर, मे० एपको इन्फ्राटेक प्रा० लि० को उक्त कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. तटबन्ध की स्थाई/दीर्घ कालिक सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यों को कराये जाने के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को निर्देश दिये गये।

5. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2024 को प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लो०नि०वि०, प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग एवं यूपीडा, लो०नि०वि० व सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गई, जिसमें मुख्य अभियन्ता (गण्डक) द्वारा घाघरा सेतु के क्षतिग्रस्त तटबन्ध की स्थिति के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अन्तर्विभागीय कमेटी गठित कर बाह्य विशेषज्ञ के रूप में श्री बी०पी० सिंह, रिटा० संयुक्त निर्देशक, उ०प्र० रा०से०नि०लि० की अध्यक्षता में दिनांक 05.12.2024 को एवं डा० सी०पी०एस० ओझा, प्रोफेसर, सिविल अभियन्त्रक विभाग, आई.आई.टी., रुढ़की की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2024 को घाघरा सेतु स्थल का निरीक्षण करते हुए क्षतिग्रस्त तटबन्ध के सुरक्षात्मक कार्य हेतु तात्कालिक/दीर्घकालिक उपाय किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा।
6. श्री बी०पी० सिंह एवं अन्तर्विभागीय कमेटी ने दिनांक 05.12.2024 को घाघरा सेतु का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें कमेटी ने तटबन्ध के सुरक्षात्मक कार्य हेतु तात्कालिक उपाय के रूप में 800 मी० लम्बाई में 02 लेन में शीट पाइलिंग कार्य से सम्बन्धित आगणन सेतु निगम को प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। सेतु निगम द्वारा प्रस्तावित कार्य का प्रारम्भिक आगणन रु० 198.9146 करोड़ दिया गया है।
7. डा० सी.एस.पी. ओझा एवं अन्तर्विभागीय कमेटी ने दिनांक 13.12.2024 को घाघरा सेतु का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें डा० ओझा एवं कमेटी द्वारा क्षतिग्रस्त तटबन्ध को और अधिक क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु सेतु निगम द्वारा प्रस्तावित 800 मी० लम्बाई में 02 लेन में शीट पाइलिंग कार्य एवं आगणन पर सैद्धान्तिक सहमति दी गई।
8. अथॉरिटी इंजीनियर ने अपने पत्रांक 4255 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा सूचित किया है कि विषयगत कार्य को ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नहीं किये जाने से भविष्य में अवांछनीय घटना से बचने के लिए अथॉरिटी, ई.पी.सी. एग्रीमेन्ट के क्लॉज 11.13.1 एवं 11.13.2 के अन्तर्गत किये गये प्राविधान के तहत उक्त कार्य को किसी अन्य कार्यदायी संस्था से कराया जा सकता है।
9. ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर को विभिन्न पत्रों द्वारा तात्कालिक/अस्थायी उपाय किये जाने हेतु कहा गया, परन्तु कोई प्रभावी कार्य न किये जाने से निरन्तर क्षतिग्रस्त हो रहे तटबन्ध को बचाने, नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण कमेटी द्वारा तटबन्ध के सुरक्षात्मक कार्य हेतु तात्कालिक उपाय के रूप में प्रस्तावित शीट पाइलिंग कार्य में उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० को विशेषज्ञता होने के कारण यूपीडा के पत्रांक 5099/यूपीडा/1749/टेक. दिनांक 16.12.2024 के द्वारा उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० को कार्यदायी संस्था के रूप में नियुक्त किया गया है।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० द्वारा मैटेरियल, मशीनरी, शीट पाइल इत्यादि को एकत्रित करने के लिए रु० 50/- करोड़ की मांग की गई, जिसके कम में यूपीडा द्वारा अग्रिम धनराशि के रूप में रु० 50/- करोड़ का भुगतान उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० को किया गया।
11. यूपीडा की 90वीं बोर्ड बैठक में, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० द्वारा उपलब्ध कराये गये रु० 198.9146 करोड़ के प्रारम्भिक आगणन, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने एवं अग्रिम धनराशि के रूप में रु० 50/- करोड़ का भुगतान उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० को हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव पर मा० निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

12. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० उपरोक्त कार्य का विस्तृत आगणन आई.आई.टी. रुढ़की से परीक्षण के उपरान्त रु० 269,86,44,279/- (जी.एस.टी. सहित) धनराशि का आगणन प्रारम्भिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु यूपीडा को पत्र दिनांक 877/मु०परि०प्रब०(आ०)/1321 पीबीसी/2024-25 दिनांक 12.03.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसका Abstract of Cost निम्नवत् है:-

Sl. no.	Description	Amount
1	Excavation for river channel in soil/sand by mechanical	10,13,60,000
2	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pit	3,90,26,796
3	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates	4,02,42,212
	Providing and laying filter material underneath pitching in slopes	74,95,682
4	Laying of Geotextile filter between pitching & embankment slopes	31,95,699
5	Providing and laying cement bags including procurement of empty cement bags, filling & stitching it with sand and place it in staggered manner in nylon crate	9,07,24,393
6	Providing and laying Geo-tubes/Geotextile tubes to prevent scouring of river banks towards approach road embankment by filling with tubes with local river bed material	3,21,85,064
7	Providing and driving/fixing U-Shape Sheet pile in double rows along the embankment in the longitudinal direction and filling the space between rows by sand gabions/bags for preventing scours : Longitudinal double Row wall	126,45,85,860
	In double row spurs	39,39,29,824
8	Providing and laying of M-20 PCC : For capping of sheet pile rows	1,00,02,382
	In Chute drains & dissipating basins	15,82,337
9	Providing and fixing walers to combine all U-type sheet pile together in 03 layers	4,32,64,850
10	Providing & Fixing x-connectors to combine both rows of sheet pile together @ 2m c/c longitudinally and in 03 layers	4,13,23,425
	Providing & Fixing Diagonal bracing of cross connectors	1,39,16,188
11	Providing & Fixing Geo grid/geo fabric with walers	1,18,66,474
12	Providing & laying lean concrete M-15 grade below chute drains and dissipating basins	5,79,280
13	Vetting of detailed design, drawing & estimate of construction of protective work of damage part of approach embankment of A1 side	46,00,000
14	Proposal for mathematic and topographic survey in Ghaghra river bridge at Kamhariya Ghat	28,50,000
	Total	2,10,27,30,466

	Add. 2.5% Maintenance Charges for 05 years	5,25,68,262
	Sub Total	2,15,52,98,728
	Add. Contingency @ 1%	2,10,27,305
	Sub Total	2,17,63,26,032
	Add. GST @ 18%	39,17,38,686
	Sub Total	2,56,80,64,718
	Add. Labour Cess @ 1%	2,17,63,260
	Sub Total	2,58,98,27,978
	Add. Centage Charges @ 5% (for project above Rs. 100 Cr.)	10,88,16,302
	Grand Total	2,69,86,44,280

घाघरा नदी की जलधारा/बहाव में परिवर्तन (Meandering Effect) के कारण गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज-01 में चैनैज 45+980 पर निर्मित घाघरा दीर्घ सेतु (Major Bridge) के ए1 साइड (RHS) के तटबन्ध के क्षतिग्रस्त भाग को यूपीडा द्वारा नामित कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य सेतु निर्माण निगम द्वारा दीर्घ कालिक रूप से सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन की स्वीकृति के लिए शासन एवं पी.एफ.ए.डी को प्रेषण किये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल का संज्ञान एवं अनुमोदन निवेदित है।

निदेशक मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-15

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 08 चिन्हित जनसुविधा परिसरों में प्रस्थापित ई-चार्जिंग स्टेशन के लेवलिंग हेतु मिट्टी भराई का कार्य किये जाने विषयक निर्गत चेंज ऑफ स्कोप से सम्बन्धित एजेण्डा मा० निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ :-

यूपीडा द्वारा लखनऊ-सुल्तानपुर रोड (एन०एच०-731) पर स्थित ग्राम चाँदसराय, जनपद लखनऊ से प्रारम्भ होकर जनपद बाराबंकी अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ एवं मऊ होते हुए यूपी-बिहार सीमा से 18 किमी० पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-31 पर स्थित ग्राम हैदरिया के पास जनपद गाजीपुर में समाप्त होने वाले पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित 06 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लम्बाई 340.824 किमी० है, का निर्माण कराया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के प्रत्येक पैकेज में 01 जनसुविधा परिसर में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिनका विवरण निम्नवत् है:-

पैकेज संख्या	चैनैज	साइड	स्थलीय ग्राम का नाम	जनपद का नाम
01	19+150	एल.एच.एस	सरायपाण्डेय काबूलपुर	बाराबंकी
02	63+000	आर.एच.एस	नेवाच मधगढ़, मोहना पश्चिम, आशीषपुर	अमेठी
03	108+300	एल.एच.एस	भरसादा	सुलतानपुर
04	144+300	आर.एच.एस	निदौरा, वीरसिंहपुर	सुलतानपुर
05	195+600	एल.एच.एस	इमली मधौबा, बैदा	आजमगढ़
06	230+900	आर.एच.एस	किशुनदासपुर गौड़पुर	आजमगढ़
07	266+800	एल.एच.एस	बरदिहा	मऊ

08	310+450	आर.एच.एस	सेहगलपुर मेहमूदपुर	गाजीपुर
----	---------	----------	--------------------	---------

उपरोक्त वर्णित 08 जनसुविधा परिसरों में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे के स्तर तक लेवल किये जाने हेतु चिन्हित जनसुविधा परिसरों में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थल पर मिट्टी भराई का कार्य किया जाना है।

प्रस्ताव:-

जनसुविधा परिसरों ई-चार्जिंग स्टेशन स्थल पर मिट्टी भराई कार्य का विवरण निम्नवत् है:-

पैकेज संख्या	चैनज	साइड	मिट्टी की मात्रा	लागत
01	19+150	एल.एच.एस	1536.57	5,63,208.00
02	63+000	आर.एच.एस	2113.70	8,29,647.00
03	108+300	एल.एच.एस	1405.87	4,16,105.00
04	144+300	आर.एच.एस	1158.02	4,20,453.00
06	230+900	आर.एच.एस	2265.917	7,11,792.51

उपरोक्त कार्य हेतु निर्गत चेंज ऑफ स्कोप का विवरण निम्नवत् है:-

Pkg No.	COS order No.	CoS letter no & date	Brief details of Works	Amount (Rs.) Excluding GST and Labour Cess Including	Updated Agreement Cost (Rs.) including 1% Labour Cess but Excluding GST
01	29	CoS Letter No. 6324/UPEIDA/18/1172/Tech. dated 13-02-2025	Earth Filling for the site of Public Charging Station at Ch: 19-150 (LHS) of Pucvanchal Expressway	5,63,208.00	14,77,60,71,328.00
02	25	CoS Letter No. 6345/UPEIDA/18/1173/Tech. dated 13-02-2025	Earth Filling for the site of Public Charging Station at Ch: 63+000 (RHS) of Pucvanchal Expressway	8,29,647.00	12,66,64,70,603.00
03	25	CoS Letter No. 6346/UPEIDA/18/1173/Tech. dated 13-02-2025	Earth Filling for the site of Public Charging Station at Ch: 108+300 (LHS) of Pucvanchal Expressway	4,16,105.00	14,15,08,14,139.00
04	36	CoS Letter No. 6316/UPEIDA/18/1175/Tech. dated 13-02-2025	Earth Filling for the site of Public Charging Station at Ch: 144+300 (RHS) of Pucvanchal Expressway	4,20,453.00	15,85,66,21,618.00
06	26	CoS Letter No. 6754/UPEIDA/18/1177/Tech. dated 07-03-2025	Earth Filling at site of Public Charging Station to be establish on the Pucvanchal Expressway Ch: 230+900 (WSA)	7,11,793.00	10,10,07,90,441.00

वित्तीय प्रभाव:-

उपरोक्तानुसार निर्गत चेंज ऑफ स्कोप आदेश के कारण परियोजना में पैकेजवार निम्नवत् तालिकानुसार वित्तीय बढ़त का प्रभाव पड़ेगा:-

Pkg No.	Cos Cost (in Rs.)	Remarks
01	5,63,208.00	
02	8,29,647.00	
03	4,16,105.00	
04	4,20,453.00	
06	7,11,793.00	

उपरोक्तानुसार निर्गत किये गये चेंज आफ स्कोप आर्डर का संज्ञान लेते हुए निदेशक मंडल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अवगत कराना है कि 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) का डिजाइन, आपूर्ति स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, कॉन्फिगरेशन, सिस्टम एकीकरण, संचालन और रख-रखाव हेतु ई-टेंडर के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर चयनित किये जाने के लिये के लिये दिनांक 26.06.2024 को निविदा अभिलेख ई-टेंडर पोर्टल पर प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उक्त के क्रम में दिनांक 10.07.2024 को प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई थी तथा प्री-बिड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार इच्छुक निविदाकर्ताओं द्वारा की गयी पृच्छाओं के उत्तर एवं आवश्यक कोरिजेन्डम दिनांक 27.07.2024 को जारी किये गये थे।

2— उपरोक्त निविदा जमा किये जाने की अंतिम तिथि यथा दिनांक 29.08.2024 को ई-टेंडर पोर्टल पर 06 निविदाकर्ताओं की निविदायें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें निर्धारित तिथि 30.08.2024 को 'नामित समिति' के समक्ष ऑनलाइन खोला गया था। निम्नलिखित निविदाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर निविदा जमा की गई थी:-

- M/s Vaaan Infra Pvt. Ltd.
- M/s Devaditya Technocrats LLP
- M/s Superwave Communication and Infra Solution Pvt. Ltd.
- M/s LogicMo Systems Pvt. Ltd
- M/s Qualix Information System LLP
- M/s Tollman International Pvt. Ltd.- Roadlink Infratech Pvt. Ltd. (JV)

3— उपरोक्त 06 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन परियोजना विकास परामर्शी द्वारा किया गया एवं मूल्यांकनोपरान्त दिनांक 18.12.2024 को आहूत 'नामित समिति' की बैठक में सभी 06 निविदाकर्ताओं को तकनीकी रूप से अर्ह पाते हुए उनके वित्तीय प्रस्तावों को खोले जाने का निर्णय लिया गया। तत्क्रम में दिनांक 20.12.2024 को आहूत 'नामित समिति' की बैठक में सभी 06 निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया था जिसका विवरण निम्नवत् है:-

Sl. No.	Name of the bidder	Total Cost in Rupees quoted by the Bidder (excluding GST)	Rank
1.	M/s Tollman International Pvt. Ltd.- M/s Roadlink Infratech Pvt. Ltd. (JV)	49,42,68,612.00	L1
2.	M/s LogicMo Systems Pvt. Ltd.	62,70,04,308.00	L2
3.	M/s Devaditya Technocrats LLP	65,00,29,905.00	L3
4.	M/s Superwave Communication and Infrsolution Pvt. Ltd	65,47,57,200.00	L4
5.	M/s Vaaan Infra Pvt. Ltd.	69,74,00,000.00	L5
6.	M/s Qualix Information System LLP	73,98,84,120.00	L6

4— उपरोक्तानुसार 'नामित समिति' द्वारा न्यूनतम वित्तीय निविदा यथा ₹0 49,42,68,612.00 (रुपये उन्चास करोड बयालिस लाख अड़सठ हजार छः सौ बारह मात्र) प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s Tollman International Pvt. Ltd.- M/s Roadlink Infratech Pvt. Ltd. (JV) को चिन्हित कर आर0एफ0पी0 अभिलेख में निहित शर्तों के क्रम में उन्हें 'Proof of Concept' (POC) हेतु आमंत्रित किया

गया था। दिनांक 10.02.2025 को सम्पन्न Proof of Concept प्रक्रिया में अर्ह पाये जाने के पश्चात दिनांक 20.02.2025 को उन्हें 'लेटर ऑफ एवॉर्ड' निर्गत किया गया है। उक्त के कम में चयनित कॉन्ट्रैक्टर द्वारा परफॉरमेंस सेक्योरिटी जमा की जानी है तथा अनुबंध निष्पादित किया जाना है।

बैठक में निदेशक मण्डल के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि इस टेण्डर में तकनीकी मूल्यांकन में अर्ह अनुभव के लिए एक ही प्रोजेक्ट के 02 पैकेज में किये गये कार्य की लम्बाई को समेकित कर मूल्यांकन किया गया है। उक्त मूल्यांकन की पद्धति को बोर्ड ने उचित/सही पाया। निदेशक मण्डल द्वारा उक्त तथ्य का संज्ञान लेते हुए बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का ए0टी0एम0एस0 हेतु फर्म चयन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-17

आई0एम0एल0सी0/डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के ई0आई0ए0 अध्ययन, ई0एम0पी0 तथा पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु ई-टेण्डर द्वारा परामर्शी चयन के सम्बंध में।

उक्त के द्वारा अवगत कराया गया कि यूपीडा द्वारा विकसित किये जा रहे आई0एम0एल0सी0/इण्डस्ट्रियल एरिया/डिफेन्स कॉरिडोर के ई0आई0ए0 अध्ययन, ई0एम0पी0 तैयार करने तथा पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु ई-टेण्डर के माध्यम से परामर्शियों के चयन हेतु दिनांक 09.12.2024 को निविदा अभिलेख ई-टेंडर पोर्टल पर प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उक्त के क्रम में दिनांक 19.12.2024 को प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई थी तथा प्री-बिड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार इच्छुक निविदाकर्ताओं द्वारा की गयी पृच्छाओं के उत्तर एवं आवश्यक कोरिजेन्डम ई-टेण्डर पोर्टल पर दिनांक 27.07.2024 को जारी किये गये थे।

2- उपरोक्त निविदा जमा किये जाने की अंतिम तिथि यथा दिनांक 23.01.2025 को ई-टेंडर पोर्टल पर 11 निविदाकर्ताओं की निविदायें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें निर्धारित तिथि 24.01.2025 को 'नामित समिति' के समक्ष ऑनलाइन खोला गया था। निम्नलिखित निविदाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर निविदा जमा की गई थी:-

1. M/s Rightsource Industrial Solutions Pvt. Ltd.
2. M/s Enkay Enviro Services Pvt. Ltd.
3. M/s Greencindia Consulting Pvt. Ltd.
4. M/s AmplEnviron Pvt. Ltd., (AEPL)
5. M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd.
6. M/s Paramarsh Servicing Environment And Development
7. M/s ENV Development Assistance Systems (India) Pvt. Ltd.
8. M/s Amlink Solutions and technologies Pvt. Ltd.
9. M/s ECO Orbit Consultancy Pvt. Ltd.
10. M/s Kaleem Qureashi, M/s EQMS Global Pvt. Ltd.
11. M/s Ind TechHouse Consult

3- उपरोक्त 11 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किये जाने पर सभी निविदाकर्ता तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये थे। तत्क्रम में दिनांक 06.02.2025 को सम्पन्न नामित समिति की बैठक में तकनीकी मूल्यांकन का अन्तिमीकरण करते हुए सभी निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोले जाने का निर्णय लिया गया। तत्क्रम में दिनांक 06.02.2025 को आहूत 'नामित समिति' की बैठक में सभी 11 निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया था। प्रत्येक साइट के सापेक्ष प्राप्त न्यूनतम निविदाओं का विवरण निम्नवत् है:-

S. No	Description	Quantity (Hec.)	Amount quoted by L-1 Applicant	Name of L-1 Applicant
1	Ganga Expressway			
1.01	Meerut	196.9673	300000.00 (Rs. Three Lakhs only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
1.02	Hapur	123.1414	300000.00 (Rs. Three Lakhs only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
1.03	Amroha	140.6400	300000.00 (Rs. Three Lakhs only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
1.04	Sambhal	129.2580	300000.00 (Rs. Three Lakhs only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
1.05	Budaun	110.3064	300000.00 (Rs. Three Lakhs only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
1.06	Shahjahanpur	102.0199	300000.00 (Rs. Three Lakhs only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
1.07	Hardoi	134.9526	300000.00 (Rs. Three Lakhs only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
1.08	Raebareli	93.9917	300000.00 (Rs. Three Lakhs only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
1.09	Pratapgarh	106.5990	300000.00 (Rs. Three Lakhs only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
1.1	Prayagraj	101.4998	300000.00 (Rs. Three Lakhs only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
2	Bundelkhand Expressway			
2.01	Chitrakoot	309.5100	390000.00 (Rs. Three Lakhs Ninety Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
2.02	Chitrakoot	226.6225	390000.00 (Rs. Three Lakhs Ninety Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
2.03	Banda	400.0000	390000.00 (Rs. Three Lakhs Ninety Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
2.04	Hamirpur	104.8330	390000.00 (Rs. Three Lakhs Ninety Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
2.05	Mahoba	110.0920	390000.00 (Rs. Three Lakhs Ninety Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
2.06	Jalaun	400.0000	390000.00 (Rs. Three Lakhs Ninety Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
2.07	Auraiya	131.1467	390000.00 (Rs. Three Lakhs Ninety Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
3	Agra-Lucknow Expressway			
3.01	Aligarh	87.8880	365000.00 (Rs. Three Lakhs Sixty Five Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
3.02	Firozabad	137.2095	365000.00 (Rs. Three Lakhs Sixty Five Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
3.03	Etawah	89.1404	365000.00 (Rs. Three Lakhs Sixty Five Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
3.04	Kannauj	283.0800	365000.00	M/s Ecomen Mining Pvt.

S. No	Description	Quantity (Hec.)	Amount quoted by L-1 Applicant	Name of L-1 Applicant
			(Rs. Three Lakhs Sixty Five Thousand only)	Ltd., Lucknow
3.05	Kanpur	99.1693	365000.00 (Rs. Three Lakhs Sixty Five Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
3.06	Kanpur	185.0000	365000.00 (Rs. Three Lakhs Sixty Five Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
4	Gorakhpur EXPRESSWAY			
4.01	Gorakhpur	62.9342	445000.00 (Rs. Four Lakhs Forty Five Thousand only)	M/s Paramarsh Servicing Environment and Development, Lucknow
4.02	Ambedkarnagar	143.6226	445000.00 (Rs. Four Lakhs Forty Five Thousand only)	M/s Paramarsh Servicing Environment and Development, Lucknow
4.03	Ambedkarnagar	230.8420	445000.00 (Rs. Four Lakhs Forty Five Thousand only)	M/s Paramarsh Servicing Environment and Development, Lucknow
5	PURVANCHAL EXPRESSWAY			
5.01	Lucknow	90.0000	350000.00 (Rs. Three Lakhs Fifty Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
5.02	Barabanki	246.3038	350000.00 (Rs. Three Lakhs Fifty Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
5.03	Amethi	148.6895	350000.00 (Rs. Three Lakhs Fifty Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
5.04	Sultanpur	338.9940	350000.00 (Rs. Three Lakhs Fifty Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
5.05	Ghazipur	415.2189	350000.00 (Rs. Three Lakhs Fifty Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow
5.06	Ambedkarnagar	230.8420	350000.00 (Rs. Three Lakhs Fifty Thousand only)	M/s Ecomen Mining Pvt. Ltd., Lucknow

4- उपरोक्तानुसार 'नामित समिति' द्वारा (i) मेसर्स इकोमैन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड का चयन 'गंगा एक्सप्रेसवे' की सभी साइटो हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदा यथा रू0 3,00,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र), 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' की सभी साइटो हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदा यथा रू0 3,90,000.00 (रुपये तीन लाख नब्बे हजार मात्र), 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' की सभी साइटो हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदा यथा रू0 3,65,000.00 (रुपये तीन लाख पैंसठ हजार मात्र) तथा 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' की सभी साइटो हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदा यथा रू0 3,50,000.00 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) एवं (ii) मेसर्स परामर्श सर्विसिंग एन्वायरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट का चयन 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' की सभी साइटो हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदा यथा रू0 4,45,000.00 (रुपये चार लाख पैतालिस हजार मात्र) चयन किये जाने की संस्तुति की गयी। उक्त दोनों परामर्शीयों को 'लेटर ऑफ एवॉर्ड' जारी किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार यूपीडा द्वारा कृत कार्यवाही एवं 'नामित समिति' द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में निदेशक मण्डल कृपया (i) मेसर्स इकोमैन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड का चयन 'गंगा एक्सप्रेसवे' की सभी साइटो हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदा यथा रू० 3,00,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र), 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' की सभी साइटो हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदा यथा रू० 3,90,000.00 (रुपये तीन लाख नब्बे हजार मात्र), 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' की सभी साइटो हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदा यथा रू० 3,65,000.00 (रुपये तीन लाख पैंसठ हजार मात्र) तथा 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' की सभी साइटो हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदा यथा रू० 3,50,000.00 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) एवं (ii) मेसर्स परामर्श सर्विसिंग एन्वायरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट का चयन 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' की सभी साइटो हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदा यथा रू० 4,45,000.00 (रुपये चार लाख पैतालिस हजार मात्र) चयन पर कार्योत्तर अनुमोदन करना चाहें।

निदेशक मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-18

एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकास हेतु प्रति इकाई लेन लम्बाई के आधार पर ई-टेण्डर द्वारा परियोजना विकास एवं डी०पी०आर० परामर्शियों के इम्पैनेलमेंट हेतु जारी आर०एफ०क्यू०कम-आर०एफ०पी० अभिलेख के अनुमोदन के सम्बंध में।

यूपीडा द्वारा विकसित किये जा रहे एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकास हेतु प्रति इकाई लेन लम्बाई के आधार पर ई-टेण्डर के माध्यम से परियोजना विकास एवं डी०पी०आर० परामर्शियों को इम्पैनेल किया जाना प्रस्तावित है। तत्कम में आर०एफ०क्यू०कम-आर०एफ०पी० का गठन कर ई-टेण्डर पोर्टल पर दिनांक 17.01.2025 को प्रकाशित कर इच्छुक परामर्शियों से निविदायें आमंत्रित की गयीं हैं। प्रकाशित आर०एफ०क्यू०कम-आर०एफ०पी० अभिलेख की मुख्य विशेषतायें निम्नवत हैं:-

1- Conditions of Eligibility of Applicants

Technical Parameters:

The Applicant shall have:

- (i) Project Development/DPR Consultancy Experience with respect to infrastructure projects across various sectors including roads, bridges, highways and expressways, water supply, sewerage & drainage, Public transport (Airports, Ports, Railways and Metros), Logistics, Integrated Townships, etc. for which the consultancy assignments have been completed in India with a cumulative project cost of at least **Rs. 1000 crores (Rupees One Thousand crores)** during last seven years (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24), which should include Roads, Bridges and Highway/Expressway projects of cumulative cost of at least **Rs. 500 crores (Rupees Five Hundred crores)**.
- (ii) Successful selection of Project Developers/Contractors through PPP/EPC/HAM mode and finalization of Concession/Contract Agreements in at least two Highways/ Expressways Projects in India for which DPR has been made by the Applicant with cumulative project cost of at least **Rs. 200 crores (Rs. Two Hundred crores)**.

*For the purpose of minimum eligibility criteria indicated at 2.2.2 A (i) and (ii) above, Projects having minimum project cost of **Rs. 100 crores (Rs. One Hundred crores)** each will only be considered as Eligible Assignments.*

Financial Parameters:

- (i) Should have average annual turnover of at least **Rs. 10 crores (Rs. Ten crores)** (including its 100% owned subsidiaries/ holding company) from the advisory/consultancy services for the last three financial years i.e. (FY 2020-21, 2021-22 and 2022-23) or (FY 2021-22, 2022-23 and 2023-24), whichever is applicable.
- (ii) Should have **positive** net worth (share capital plus free reserves) as per last audited annual accounts (including its 100% owned subsidiaries/holding company).

2- Financial Proposal

Applicants shall submit Financial Proposal online only in separate e-envelope (BOQ) containing Financial Proposal as per format at Appendix-II (the "Financial Proposal") clearly indicating the **Basic Rate per lane per km**, online only in separate e-envelop, as per the BOQ format indicated (for reference) at Appendix-III (the "Financial Proposal") clearly quoting the cost of the Consultancy assignment **per lane per kilometer length of the Expressway** (Including all taxes excluding GST) in both figures and words, in Indian Rupees on the stipulated terms and conditions and other particulars indicated in the RFQ-cum-RFP document. The GST shall be paid extra by the Authority as applicable as per prevailing rates.

3- **Proposal Security-** Rs. 50,000.00, **Document Fee-** Rs. 11,800.00,

Performance Security- Rs. 10,00,000.00

4- Evaluation of Technical Proposals

The scoring criteria to be used for Technical Evaluation shall be as follows:

The scoring criteria to be used for Technical Evaluation shall be as follows:

Sl. No	Criteria	Maximum marks	Marking system												
1	Project Development/ DPR Consultancy Experience with respect to infrastructure projects of roads, bridges, highways / expressways in India during last seven years i.e 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24. {Clause 2.2.2 A(ii)}	15	(i) 7.5 marks for Project Development/DPR Consultancy experience of roads, bridges, highways / expressways during last seven years of cumulative cost of at least Rs. 500 Cr. (ii) 1.5 marks for every additional eligible project other than (i) above. (Max. 7.5 marks)												
2	Project Development/ DPR Consultancy Experience with respect to infrastructure projects across various sectors such as water supply, sewerage & drainage, Public transport (Airports, Ports, Railways and Metros), Logistics, Integrated Townships, etc. including roads, bridges, highways and expressways other than claimed in Sl. No. 1 above, for which the consultancy assignment have been completed in India during last seven years i.e 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24. {Clause 2.2.2 A(i)}	5	(i) 3 marks for having Project Development/DPR Consultancy experience of infrastructure projects across various sectors of cumulative cost of at least Rs. 500 Cr. (ii) 1 marks for every additional eligible project other than (i) above. (Max. 2 marks)												
3.	Successful selection of Project Developers/Contractors through PPP/EPC/HAM mode and finalization of Concession/Contract Agreements in atleast two Highways/ Expressways Projects in India for which DPR has been made by the Applicant. {Clause 2.2.2 A(ii)}	10	(i) 5 marks for Successful selection of Project Developers/Contractors in two eligible Highways/ Expressways Projects in India. (ii) 2.5 marks for every additional eligible project other than (i) above. (Max. 5 marks)												
4.	Proposed Core Team- Key personnel	40	<table><tr><th>S. N.</th><th>Key Personnel</th><th>Marks</th></tr><tr><td>1</td><td>Team Leader cum Highway Engineer</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Bridge Engineer</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>Traffic Engineer cum Safety Expert</td><td>3</td></tr></table>	S. N.	Key Personnel	Marks	1	Team Leader cum Highway Engineer	10	2	Bridge Engineer	5	3	Traffic Engineer cum Safety Expert	3
S. N.	Key Personnel	Marks													
1	Team Leader cum Highway Engineer	10													
2	Bridge Engineer	5													
3	Traffic Engineer cum Safety Expert	3													

The scoring criteria to be used for Technical Evaluation shall be as follows:

Sl. No	Criteria	Maximum marks	Marking system																					
			<table><tr><td>4</td><td>Surveyor</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>Quantity Surveyor cum Documentation Expert</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>Pavement Design Expert</td><td>5</td></tr><tr><td>7</td><td>Environmental Expert</td><td>2</td></tr><tr><td>8</td><td>Finance Analyst/Expert</td><td>2</td></tr><tr><td>9</td><td>Utility Shifting</td><td>3</td></tr><tr><td>10</td><td>Land Acquisition Expert</td><td>5</td></tr></table> <p>Educational Qualification - 10% Professional Experience – 20% Experience of Eligible Assignment – 50% Permanent/Full Time Employee –10% Experience in Infrastructure Sector – 10%</p>	4	Surveyor	3	5	Quantity Surveyor cum Documentation Expert	2	6	Pavement Design Expert	5	7	Environmental Expert	2	8	Finance Analyst/Expert	2	9	Utility Shifting	3	10	Land Acquisition Expert	5
4	Surveyor	3																						
5	Quantity Surveyor cum Documentation Expert	2																						
6	Pavement Design Expert	5																						
7	Environmental Expert	2																						
8	Finance Analyst/Expert	2																						
9	Utility Shifting	3																						
10	Land Acquisition Expert	5																						
5.	Presentation before DC to include understanding of the project, methodology, brief details of the company with their association / collaborations etc.	25	To be assessed by CEC on the basis of presentation.																					
6.	Annual Turn over (Clause 2.2.2 B(i))	5	(i) 3 marks for average annual turnover of at least Rs. 10 crore. (ii) Every additional average annual turnover of Rs. 5 cr shall fetch 0.5 marks each, subject to maximum marks. (Max. 2 marks)																					

5- Brief description of the Empanelment Process

The Authority has adopted a Single Stage Two Envelope Empanelment Process (collectively the "Empanelment Process") in evaluating the Proposals. At first, a technical evaluation will be carried out as specified in Clause 3.1. Based on this technical evaluation, a list of short-listed (qualified) applicants shall be prepared as specified in Clause 3.2. Subsequently, the financial proposal of only Short-listed Applicants shall be opened. Subsequently, the shortlisted applicants would be asked to match their financial proposal with the lowest financial proposal and only such applicants, who agree to match the lowest financial proposal shall be empanelled. However, maximum 03 (three) such applicants shall be empanelled in the order of their Technical Score.

The period of empanelment for each Empanelled Consultant shall be two years or 1500 (One thousand Five Hundred Lane Kilometers) whichever is earlier.

6- Short-listing of Applicants

Only those Applicants whose Technical Proposals score 70 marks or more out of 100 shall be shortlisted for opening of their Financial Proposals. The shortlisted applicants shall be ranked (H-1, H-2, H-3.....) on the basis of their Technical Scores.

7- Evaluation of Financial Proposal

7.1 In the second stage, the financial evaluation of only short-listed (qualified) applicants will be carried out.

7.2 For financial evaluation, the per lane per kilometer cost quoted in the Financial Proposal will be considered.

7.3 The Authority will determine whether the Financial Proposals are complete, unqualified and unconditional. The cost indicated in the Financial Proposal shall be deemed as final and reflecting the total cost of services per lane per km. Omissions, if any, in costing any item shall not entitle the Applicant to be compensated and the liability to fulfill its obligations as per the TOR within the quoted price shall be that of the Applicant.

8- Payment to the Consultant

Sl. No.	Stage of Payment	Percentage of Payment of total Financial Proposal Payable
1	On submission of Inception Report and Finalization & approval of Alignment.	5%
2	On submission of final Detailed Project Report (DPR) duly incorporating	20 %

	suggestions of the Authority.	
3	Approval of Competent Authority of Detailed Project Report. Submission of Draft RFQ-cum-RFP Document with Draft Agreement for selection of "Developer(s)/ Contractor(s). Submission of application for forest / wildlife clearance, environment clearance.	10%
5	Approval by Competent Authority of RFQ-cum-RFP document including Draft Agreement and issuance of the same for selection of "Developer(s)/Contractor(s)".	10%
6	Issuance of 'Letter of Award' to Selected "Developer(s)/Contractor(s)".	10%
7	Execution of Agreement(s).	15%
8	After Obtaining all necessary approvals/clearances such as Forest/Wildlife Clearance, Environment Clearance etc. from the Competent Authorities.	15%
9	Selection of Authority Engineer(s) / Project Monitoring Consultant & Safety Engineer and signing of Agreements with them and after satisfactory completion of consultancy assignment as per the scope of work.	15%

9- Present Status of the Bid process

- The RFQ-cum-RFP was published on 17.01.2025.
 - Approval of 'Empowered Committee' on the RFQ-cum-RFP, replies to Pre-Bid queries and Corrigendum obtained on 10.02.2025.
 - Replies to the Pre-Bid Queries and Corrigendum to the RFQ –cum-RFP Document were uploaded on e-tender portal 21.02.2025.
 - Evaluation of Presentations by the applicants was carried out by the 'Empowered Committee' on 11.03.2025 and Technical Proposals were opened online on the same day, which are under evaluation.
- उपरोक्तानुसार यूपीडा द्वारा विकसित किये जाने वाले एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकास हेतु प्रति इकाई लेन लम्बाई के आधार पर ई-टेंडर के माध्यम से परियोजना विकास एवं डी0पी0आर0 परामर्शियों के इम्पैनेलमेंट हेतु कृत कार्यवाही एवं उपलिखित मुख्य विशेषताओं के आधार पर गठित आर0एफ0क्यू-कम- आर0एफ0पी0 अभिलेख पर निदेशक मण्डल का अनुमोदन निवेदित है।

उक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-19

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के दोनो तरफ बिल्ड, ओन एवं ऑपरेट (BOO) मॉडल पर सोलर पार्क विकसित किये जाने के संबंध में।

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या संख्या 1288/77-3-2024-ई-1799177 दिनांक 04.10.2024 के क्रम में 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' के दोनों तरफ बिल्ड, ओन एवं ऑपरेट (BOO) मॉडल पर सोलर पार्क विकसित किये जाने हेतु ई-टेंडर के माध्यम से विकासकर्ताओं को चयनित किये जाने के लिये दिनांक 08.10.2024 को निविदा अभिलेख (कन्सेशन अनुबन्ध आलेख्य सहित) ई-टेंडर पोर्टल पर प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। निविदा के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए दिनांक 08.10.2024 को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

ई-टेंडर पोर्टल पर प्रकाशित समय सारणी के अनुसार, प्री-बिड बैठक दिनांक 23.10.2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें संभावित आवेदकों के प्रतिनिधि यथा मेसर्स टाटा पावर, मेसर्स अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एवं मेसर्स आईकॉन सोलर-एन पावर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड भी उपस्थित थे। प्री-बिड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार इच्छुक निविदाकर्ताओं द्वारा की गयी पृच्छाओं के उत्तर एवं आर0एफ0पी0 अभिलेख हेतु आवश्यक कोरिजेन्डम दिनांक 30.10.2024 को ई-टेंडर पोर्टल पर जारी किये गये थे तथा निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 15.11.2024 से बढ़ाकर दिनांक 28.11.2024 कर दी गयी थी।

चूँकि निविदा की अंतिम तिथि यथा 28.11.2024 को शाम 05:00 बजे तक कोई बिड प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 26.12.2024 कर दी गई थी। इसके बाद तीन संभावित आवेदकों यथा मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, मेसर्स गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स संगमम पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर बिड की अंतिम तिथि 26.12.2024 से बढ़ाकर 28.01.2025 कर दी गई थी। पुनः दिनांक 28.01.2025 तक कोई बिड प्राप्त नहीं हुई थी और मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा पुनः बिड की अन्तिम तिथि को बढ़ाने के अनुरोध के कारण, बिड की अन्तिम तिथि को दिनांक 27.02.2025 को सायं 05:00 बजे तक बढ़ा दिया गया था और बिड खोलने की तिथि दिनांक 29.01.2025 से बढ़ाकर दिनांक 28.02.2025 को शाम 04:00 बजे कर दी गई थी। निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि के चौथे विस्तार के बाद भी, दिनांक 27.02.2025 को शाम 05:00 बजे तक ई-टेंडर पोर्टल पर कोई भी बिड प्राप्त नहीं हुई थी। चूँकि निविदाओं को ऑनलाइन खोले जाने की तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए वर्तमान निविदा प्रक्रिया को रद्द किया जाना होगा।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बिल्ड, ओन एवं ऑपरेट (BOO) मॉडल पर सोलर पार्क विकसित किये जाने के लिए विकासकर्ता के चयन के लिए उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही से अवगत होते हुए यूपीडा के निदेशक मण्डल कृपया उपरोक्त निविदा प्रक्रिया को रद्द किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना चाहें।

निदेशक मण्डल द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुए यह निर्देश लिया गया कि उल्लिखित टेण्डर के अनुभव व इस दौरान विकासकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर पॉवार पर्चेज एग्रीमेन्ट के सम्बन्ध में यू0पी0पी0सी0एल0 व एन0पी0पी0सी0एल0 से विचार-विमर्श कर नवीन टेण्डर निकाले जाने की सम्भावना का आकलन किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-20

इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (आई.एम.एल.सी.) जनपद/तहसील औरैया के ग्राम मिहोली की प्रस्तावित भूमि के क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन के सम्बन्ध में।

‘बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना’ से आच्छादित जनपदों चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, व औरैया में औद्योगिक गलियारा परियोजना की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि भू-स्वामियों से आपसी सहमति से क्रय किये जाने की कार्यवाही कराई जा रही है। जनपद औरैया की जनपद स्तरीय “जिला (मध्यम एवं बृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति” की बैठक दिनांक 11.12.2024 में लिए गये निर्णय/कार्यवृत्त में समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित क्रय की जाने वाली भूमि की दरों एवं कुल भूमि मूल्य/प्रतिफल का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा दिनांक 13.01.2025 को किया गया है। विवरण निम्नवत् है:-

जनपद- औरैया, तहसील- औरैया

क्र०स 0	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	गाटे का कुल शे० (शे० में)	परियोजना हेतु आवश्यक शे० (शे० में)	भूमि की श्रेणी यथा एन०एच०/एस०एच०/ जनपदीय मार्ग/लिंक मार्ग/निकट आबादी/सामान्य भूमि	लिंक मार्ग/निकट आबादी के सर्किल रेट के अनुसार दर	कालम 7 में प्राप्त रेट का चार गुना	मालियत/मूल्यांक न धनराशि (कालम 5 x 8)	प्रभावित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मिहौली	322	0.7730	0.7730	निकट आबादी	10350000	41400000	32002200	04
2		539	1.6920	1.6920	मिहौली आबादी	10350000	41400000	70048800	01
3		257	1.1530	0.1503	सामान्य	9750000	39000000	5861700	02
योग								107912700	07

इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (आई.एम.एल.सी.) जनपद/तहसील औरैया के ग्राम मिहोली की प्रस्तावित भूमि के क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन का संज्ञान लेते हुए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-21

अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन।

1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यकता आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 91 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.03.2025 में प्राप्त किया जाना है:-

क्र० सं०	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवाविस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या/ तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री नगेन्द्र शर्मा,	वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी	18.02.2025	06 माह	18.08.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
2.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,	वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी	04.02.2025	06 माह	04.08.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
3.	श्री राजेश मोहन गुप्ता,	महाप्रबन्धक (सिविल)	19.02.2025	06 माह	19.08.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
4.	श्री रवि कुमार,	वरिष्ठ सहायक (नजारत)	18.02.2025	01 वर्ष	18.02.2026	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
5.	श्री अवधेश कुमार,	सहायक प्रबन्धक (ऑडिट)	04.02.2025	06 माह	04.08.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
6.	श्री अशोक कुमार शर्मा,	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.01.2025	06 माह	25.07.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
7.	श्री विजय नारायण तिवारी,	सुरक्षा अधिकारी	26.01.2025	06 माह	26.07.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
8.	श्री राजवीर सिंह,	सुरक्षा अधिकारी	29.01.2025	06 माह	29.07.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
9.	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह,	सुरक्षा अधिकारी	30.01.2025	06 माह	30.07.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
10.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह,	सुरक्षा अधिकारी	20.01.2025	06 माह	20.07.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
11.	श्री कल्लू सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	03.02.2025	06 माह	03.08.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
12.	श्री प्रभूनाथ यादव,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	02.02.2025	06 माह	02.08.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
13.	श्री दीनदयाल राय,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	26.01.2025	06 माह	26.07.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
14.	श्री अशोक कुमार मिश्रा,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	29.01.2025	06 माह	29.07.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
15.	श्री संतोष कुमार सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	29.01.2025	06 माह	29.07.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
16.	श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06.12.2024	06 माह	06.06.2025	सं०-6286/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 11.02.2025
17.	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह,	स्टाफ आफीसर, अध्यक्ष, विशेष कार्यधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (अधिष्ठान)	13.03.2025	01 वर्ष	13.03.2026	सं०-6522/2570/यूपीडा/22/अधि०, दिनांक 25.02.2025
18.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव,	वरिष्ठ सलाहकार	31.01.2025	01 वर्ष	31.01.2026	सं०-6522/2570/यूपीडा/22/

		(प्रोक्थोरमेन्ट सेल)				अधि०, दिनांक 25.02.2025
19	डा० मो० सिकन्दर,	वरिष्ठ प्रबन्धक (पर्यावरण)	16.03.2025	06 माह	16.09.2025	सं०-6522/2570/यूपीडा/22/ अधि०, दिनांक 25.02.2025
20	श्री रामशंकर सोनी,	लेखाकार/ऑडिटर	24.03.2025	06 माह	24.09.2025	सं०-6522/2570/यूपीडा/22/ अधि०, दिनांक 25.02.2025
21	श्री अतुल कुमार पाण्डेय,	लेखाकार/ऑडिटर	24.03.2025	06 माह	24.09.2025	सं०-6522/2570/यूपीडा/22/ अधि०, दिनांक 25.02.2025
22	श्री के०एन० निगम,	लेखाकार	24.03.2025	06 माह	24.09.2025	सं०-6522/2570/यूपीडा/22/ अधि०, दिनांक 25.02.2025
23	श्री सर्वेश कुमार कटियार,	प्रबन्धक (सिविल)	19.02.2025	06 माह	19.08.2025	सं०-6522/2570/यूपीडा/22/ अधि०, दिनांक 25.02.2025

2. यूपीडा में कार्यरत श्री उमेश कुमार अधिशासी अभियन्ता जिनको प्रतिनियुक्ति से उनके मूलविभाग अर्थात् सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में योगदान देने हेतु कार्यमुक्त किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 91 वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 21. 03.2025 में प्राप्त किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	प्रतिनियुक्ति से वापस की तिथि	कार्यालय आदेश संख्या
1.	श्री उमेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता	31.12.2024	सं०-5371/1727/यूपीडा/2020 /अधि०, दिनांक 31.12.2024

3.यूपीडा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जिनकी संविदा सेवा अनुबन्ध समाप्त किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 91 वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 21.03.2025 में प्राप्त किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	संविदा सेवा समाप्त किये जाने की तिथि
1.	श्री के०के० सिंह विसेन	विशेष कार्याधिकारी	31.12.2024
2.	श्री शिव सिंह कनौजिया	सहायक प्रबन्धक (अधिष्ठान)	31.01.2025
3.	श्री राजकुमार मिश्रा	प्रबन्धक (सिविल)	17.02.2025

4.यूपीडा में संविदा पर नियुक्त किये गये अधिकारी/कर्मचारी, जिनका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 91 वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 21.03.2025 में प्राप्त किया जाना है, विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	योगदान की तिथि	कार्यालय आदेश संख्या
1.	श्री सुरेश कुमार सचान,	वरिष्ठ प्रबन्धक (ऑडिट)	31 जनवरी 2025 के अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया	कार्यालय आदेश संख्या:- 6100/2162/यूपीडा/2021, दिनांक 31 जनवरी 2025
2.	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह,	प्रबन्धक (ऑडिट)	03 फरवरी 2025 के अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया	कार्यालय आदेश संख्या:- 6101/2162/यूपीडा/2021, दिनांक 31 जनवरी 2025
3	श्री उदय प्रताप सिंह,	सहायक प्रबन्धक (अधिष्ठान)	31 जनवरी 2025 के अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया	कार्यालय आदेश संख्या:- 6102/2162/यूपीडा/2021, दिनांक 31 जनवरी 2025
4	श्री पंकज कनौजिया	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	24 फरवरी 2025 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया	कार्यालय आदेश संख्या:- 6372/3374/यूपीडा/2024, दिनांक 14 फरवरी 2025
5	श्री ऋषभ शर्मा	राइडिंग टेस्टिंग वाहन चालक	01 फरवरी 2025 की पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया है।	कार्यालय आदेश संख्या:- 6056/3378/यूपीडा/2024, दिनांक 30 जनवरी 2025

6	श्री ओम सिंह, सहायक	सुरक्षा अधिकारी	26 जनवरी 2025 से कार्यभार ग्रहण किया गया	कार्यालय आदेश संख्या:- 5733/2168/यूपीडा/2021/अधि. दिनांक 16 जनवरी 2025
---	---------------------	-----------------	--	---

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित उप बिन्दु-01, 02, 03 व 04 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-22

वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय की स्थिति एवं 2025-26 का शासन से प्राप्त बजट का विवरण।

अवगत कराना है कि सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

1. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय-व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् है:-

(धनराशि रु0 लाख में)

1	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25						प्रारिधित अवशेष, शासन से मांग के पश्चात	
		प्रारिधित धनराशि		प्रारिधित के सापेक्ष शासन स्तर से जारी स्वीकृति		शासन स्तर से जारी स्वीकृति के सापेक्ष प्रारिधित अवशेष धनराशि			शासन से मांग
		पूजीगत	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत	राजस्व		धनराशि
1	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड परियोजना	40,000.00		10,000.00		30,000.00	-	7,500.00	22,500.00
2	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	21,726.00		21,726.00		-	-	-	-
3	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)		51,790.00		51,790.00	-	0.00	0.00	-
4	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का मुग्तान		36,124.00		36,124.00	-	-	-	-
5	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	30,275.00		30,275.00		-	-	-	-
6	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)		52,110.00		52,110.00	-	0.00	0.00	-
7	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का मुग्तान		72,400.00		72,400.00	-	-	-	-
8	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	60,000.00		60,000.00		-	-	-	-
9	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)		18,529.00		17,398.47	-	1,130.53	1,130.53	-0.00
10	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का मुग्तान		18,750.00		18,750.00	-	-	-	-
11	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिजिटल कारीकोर परियोजना	45,000.00		10,493.51		34,506.49	-	20,588.97	13,917.52
	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना					-	-	-	-
12	5064-03-337-09-24 (वृहत निर्माण)	60,000.00		60,000.00		-	-	-	-
13	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)		17,388.00		17,388.00	-	-	-	-
	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये वित्त संस्थाओं से लिये गये		18,388.00		18,388.00	-	-	-	-

ऋण का वृगतान									
14	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वापसिलिटी गैप फंडिंग (वी0जी0एफ0) धनराशि	1,00,000.00		1,00,000.00					
	अनुपूरक मांग के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वापसिलिटी गैप फंडिंग (वी0जी0एफ0) धनराशि	5,66,400.00		99,800.00		4,66,600.00		1,85,000.00	2,81,600.00
15	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु GST के अतिरिक्त % व्ययमार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति 24-वृहत निर्माण	10,000.00		10,000.00				17,079.00	
	अनुपूरक मांग के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु GST के अतिरिक्त % व्ययमार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति	40,799.00		23,720.00		17,079.00			
16	चित्रकूट लिंक परियोजना								
	5054-03-337-16-24 (वृहत निर्माण)	20,000.00		13,000.00		7,000.00			7,000.00
	5054-03-337-16-80 (भूमि ऋण)	5,000.00		5,000.00					
17	आगस लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्णचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नये लिंक एक्सप्रेसवे विकसित किये जाने हेतु								
	5054-03-337-16-80 (भूमि ऋण)	50,000.00		50,000.00					
	योग	10,49,200.00	2,85,479.00	4,94,014.51	2,84,348.47	5,55,185.49	1,130.53	2,31,298.50	3,25,017.52
	महायोग		13,34,679.00		7,78,362.98		5,56,316.02		

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) में प्राविधानित अवशेष धनराशि में से वी0जी0एफ0 की धनराशि स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि उ0प्र0 सरकार की शीर्षस्थ प्राथमिकता वाली परियोजना के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) हेतु अनुदान सं0-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-14-गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वी0जी0एफ0 धनराशि-24 वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत बजट धनराशि रु0 100000.00 लाख का प्राविधान तथा अनुपूरक मांग के माध्यम से धनराशि रु0 566400.00 लाख का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार कुल धनराशि रु0 666400.00 लाख का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया है।

विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अबतक धनराशि रु0 199800 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 199752.30 लाख का उपभोग किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि यूपीडा की गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के चारों गुपों के कन्सेशनरों के साथ निष्पादित "कन्सेशनेयर समझौते" के आर्टिकल 25 के अनुसार कन्सेशनेयरों द्वारा उक्त प्रोजेक्ट में लगायी जाने वाली स्वयं की कुल पूंजी (Equity) परियोजना के निर्माण में उपयोग हो जाने के उपरान्त, उस इक्विटी के सापेक्ष बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है तत्पश्चात वी0जी0एफ0 की धनराशि परियोजना में प्रदान की जाती है।

यूपीडा के पूर्व पत्र संख्या 2073/यूपीडा/गंगा/2024 दिनांक 17.01.2025 के माध्यम से शासन को यह सूचित किया गया था कि कन्सेशनेयर द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक वी0जी0एफ0 में अनुमानित व्यय की जाने वाली कुल धनराशि रु0 289000 लाख ही व्यय की जा सकती है सूचित किया गया था तदक्रम में अवशेष धनराशि रु0 377400 करोड़ (666400-289000) आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनर्ग्रहण हेतु समर्पित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका था।

वर्तमान में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के मेन कैरेज-वे का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु उच्च स्तर से दिये गये निर्देशों के क्रम में कन्सेशनेयर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में वी0जी0एफ0 हेतु क्रमशः गुप-01 में रु0 129000 लाख, गुप-02 में रु0 100800 लाख, गुप-03 में रु0 73000 लाख तथा गुप-04 में रु0 82000 लाख कुल रु0 384800 लाख वी0जी0एफ0 हेतु मांग की गयी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रु0 185000.00 लाख (384800-199800) की आवश्यकता के दृष्टिगत शासन से वित्तीय वर्ष

2024-25 में अवशेष प्राविधानित धनराशि रु0 466600.00 लाख में से धनराशि रु0 185000.00 लाख उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र-2342/ यूपीडा/गंगा/2024 दिनांक 12.03.2025 को प्रेषित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त कन्सेशनायर द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम तिमाही में वी0जी0एफ0 हेतु माह अप्रैल, 2025 के प्रथम सप्ताह (10 अप्रैल, 2025 तक) कुल रु0 189400.00 लाख कमशः ग्रुप-01 में रु0 45700.00 लाख, ग्रुप-02 रु0 29800.00 लाख, ग्रुप-03 रु0 60500.00 लाख तथा ग्रुप-04 में रु0 53500.00 लाख के धनराशि की माँग की गयी है। माह मई, 2025 में रु0 200000.00 लाख कमशः ग्रुप-02 हेतु रु0 41400.00 लाख, ग्रुप-03 हेतु रु0 84200.00 लाख तथा ग्रुप-04 हेतु रु0 74400.00 लाख की वी0जी0एफ0 धनराशि की आवश्यकता सूचित की गयी है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वी0जी0एफ0 हेतु धनराशि रु0 200000.00 लाख का ही प्राविधान किया गया है। इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु0 189400.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता होगी जिसकी पूर्ति प्रथम अनुपूरक माँग के माध्यम से ही की जा सकती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

GROUP	Total VGF Amount as per Agreement	FY 2024-2025				2025-2026		Total VGF Amount
		Provisioned in FY 2024-2025	Released to concessionaire till Date	VGF by 31.03.2025 Demand by concessionaire	Proposal sent to the Government	VGF by 10th April 2025 Demand by concessionaire	VGF by 31st May 2025 Demand by concessionaire	
			1	2	3	4	5	(1+2+4+5) 6
GROUP-1	1,746.00	6,664.00	1,290.00	-	1,850.00	456.00	-	1,746.00
GROUP-2	1,720.00		708.00	300.00		298.00	414.00	1,720.00
GROUP-3	2,177.00		-	730.00		605.00	842.00	2,177.00
GROUP-4	2,099.00		-	820.00		535.00	744.00	2,099.00
	7,742.00	6,664.00	1,998.00	1,850.00	1,850.00	1,894.00	2,000.00	7,742.00

यह भी उल्लेखनीय है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के मैन कैरेजवे का कार्य माह नवम्बर 2025 में पूर्ण किया जाना है इस हेतु वी0जी0एफ0 की धनराशि कन्सेशनायर को पूर्व में भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।

उक्त परिस्थिति के अन्तर्गत, अपरिहायता एवं तात्कालिता के दृष्टिगत कन्सेशनायर को समयबद्ध ढंग से धनराशि अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता होगी, अतः शासन को इस अनुरोध के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवशेष प्राविधानित धनराशि रु0 281600.00 लाख के सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवश्यक अतिरिक्त वी0जी0एफ0 हेतु धनराशि रु0 189400.00 लाख जिसे 10.04.2025 तक भुगतान करना होगा, की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना चाहें, जिसे इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहरण कर माह अप्रैल, 2025 के प्रथम सप्ताह में उपभोग किया जा सके और एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य निर्वाध गति से पूर्ण किया जा सके।

अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) में अनुदान सं0-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-14-गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वी0जी0एफ0 धनराशि -24 वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत अवशेष प्राविधानित धनराशि रु0 281600.00 लाख में से धनराशि रु0 189400.00 लाख स्वीकृति किया जाना प्रस्तावित किया गया है इस हेतु पत्र शासन को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आय-व्यय से संज्ञानित होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-23

इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु भूमि/परिसम्पत्तियों के दर/मूल्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-351034/2023/ 77-3099/278/ 2022-3 दिनांक 17.07.2023 के क्रम में वर्तमान में सभी एक्सप्रेसवे के निकट औद्योगिक विकास की दृष्टि से औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। पूर्व में यूपीडा निदेशक मण्डल की 87वीं 88वीं, 89वीं व 90वीं बोर्ड बैठक में इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु 27 जनपदों में चिन्हित स्थलों की भूमि क्रय दर/कुल भूमि मूल्य का अनुमोदन निदेशक मण्डल से कराया जा चुका है।

90वीं बोर्ड बैठक के उपरान्त इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना विकसित किये जाने हेतु जनपद-अमेठी एवं सुल्तानपुर में वर्तमान में प्रस्तावित औद्योगिक गलियारा के अंतर्गत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित दर/मूल्य की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा प्रदान की गयी है, जिसका कार्यान्वयन अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-24

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-01 में चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों पर मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन :-

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ग्राम जैतपुर (जनपद-गोरखपुर) एन.एच.-27 बाईपास से प्रारम्भ होकर जनपद सन्त कबीरनगर, अम्बेडकरनगर होते हुए ग्राम सलारपुर (जनपद-आजमगढ़) में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाप्त होता है। यह एक्सप्रेसवे पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित 04 लेन एक्सप्रेसवे (06 लेन विस्तारणीय) है, जिसकी कुल लम्बाई 91.352 किमी० है, जिसमें पैकेज-1 के निर्माण कार्य की माह फरवरी, 2025 तक भौतिक प्रगति 96.85 प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति 93.92 प्रतिशत है, जबकि पैकेज-2 की अंतःकालीन पूर्णता प्रमाण-पत्र (Provisional Completion Certificate) दिनांक 09.05.2024 को निर्गत किया जा चुका है। एक्सप्रेसवे के सिविल निर्माण कार्य हेतु निम्नवत अनुबन्ध गठित है:-

पैकेज संख्या	ई०पी०सी० कान्ट्रेक्टर	अनुबन्धित लागत (रु करोड़ में)	अनुबन्ध का दिनांक	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित/पुनरीक्षित तिथि
01	मेसर्स एपको इन्फ्राटेक प्रा०लि०	1774.09	18.01.2020	10.02.2020	31.12.2024
02	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लि०	1250.01	18.01.2020	19.06.2020	09.06.2024

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार/जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनमानस के अनुरोध पर कतिपय अतिरिक्त कार्य कराये गये, जिनका प्राविधान अनुबन्ध में न होने के कारण सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्ध के क्लॉज 13.2.1 के अन्तर्गत Change of Scope Notice निर्गत किये गये थे जिनके आगणनों को ई०पी०सी० ठेकेदारों से प्राप्त होने के उपरान्त अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा परीक्षण किया गया। अथॉरिटी इंजीनियर के द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में अथॉरिटी द्वारा इन अतिरिक्त कार्यों के चेंज आफ स्कोप आदेश निर्गत किये गये हैं तथा पूर्व में निर्गत कुछ चेंज आफ स्कोप आदेशों को संशोधित भी किया गया है।

मा० निदेशक मण्डल की 91वीं बैठक में अनुमोदन हेतु निम्न चेंज ऑफ स्कोप आदेश प्रस्तुत किया गया—

COS order No.	CoS letter no & date	Brief details of Works	Amount (Rs.) Excluding GST and Labour cess Including	Remarks
Package-I				
16	5702/UPEIDA/2024/1717/Tech. Dated 15-01-2025	Construction of additional Box Culvert - 3 Nos and Descoping of Culverts. 4 nos.	(-) 87,09,727/-	
17	6151/UPEIDA/1717/Tech. Dated 04-02-2025	Change in crust (Bituminous Pavement in place of CC Tiles) in Dial-100 Car Parking on location of 04 nos. (Km. 00+310, Km. 15+212, Km. 28+227, Km. 46+774) Underpasses	21,15,106/-	
18	6315/UPEIDA/1717/Tech. Dated 13-02-2025	Change in work-specification/design/drawing of structures at GAIL pipeline crossing locations (03 Nos.) at Km. 13+070, Km. 20+200 and Km. 38+220 of Gorakhpur Link Expressway	(-) 3,06,65,063/-	
21	6770/UPEIDA/1717/Tech. dated 10-03-2025	Construction of additional 880 meter length of 3.75 meter wide Service Road from chainage 30+740 to 31-320 (L.H.S.) & 35+800 to 36+100 (R.H.S.) of Gorakhpur Link Expressway.	1,92,54,144/-	
03	6634/UPEIDA/20/1693-A/Tech dt. 04-03-2025	Approval of revised cost of CoS order no. -3	67,31,80,995/-	Revised (Original Cost- Rs. 67,73,03,185/-)
7A	6634/UPEIDA/20/1693-A/Tech dt. 04-03-2025	Approval of revised cost of CoS order no. -7A	80,08,14,311/-	Revised (Original Cost- Rs. 80,09,24,781/-)
		(Package-I) Total	1,45,59,89,766/-	

मा० बोर्ड को अवगत कराया गया कि उपरोक्त सारणी में उल्लेखित पैकेज - 01 के दो चेंज ऑफ स्कोप आदेशों (आदेश संख्या 03 तथा 7A) की लागत को पुनरीक्षित (स्वीकृत मद की मात्राओं एवं कार्य स्थल पर मद की वास्तविक मात्राओं में भिन्नता के कारण) किया गया है, जिसका वित्तीय प्रभाव निम्नवत् है— उपरोक्तानुसार निर्गत/पुनरीक्षित चेंज ऑफ स्कोप आदेशों के कारण परियोजना की लागत में कुल रु० 1,45,59,89,766/- का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत/पुनरीक्षित किये गये चेन्ज आफ स्कोप आर्डर पर मा० निदेशक मंडल द्वारा संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्तानुसार यूपीडा बोर्ड की 91वीं बैठक में उपरोक्त समस्त एजेण्डा बिन्दु संख्या-01 से 24 को निदेशक मण्डल द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसका कार्यवृत्त (6997/यूपीडा/08/01/वाल्सून-11(बोर्ड बैठक)) दिनांक 25.03.2025 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

(श्रीहरि प्रताप शाही)

आई०ए०एस०

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं
सहायक सदस्य-सचिव, यूपीडा निदेशक मण्डल